



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042020-219253
CG-DL-E-30042020-219253

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड I
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113]
No. 113]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2020/वैशाख 10, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2020/VAISAKHA 10, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जाँच परिणाम

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2020

मामला संख्या: (एसएसआर) 09/2019

विषय : चीन जनवादी गणराज्य से “सोडियम साइट्रेट” के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जाँच ।

फा. सं. 7/21/2019-डीजीटीआर.—

मामले की पृष्ठभूमि

समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) ने दिनांक 28 फरवरी, 2014 की अधिसूचना सं. 13/23/2013-डीजीएडी द्वारा चीन जन.गण. (जिसे आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित “सोडियम साइट्रेट” (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” या “विचाराधीन उत्पाद” या “पीयूसी” भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरुआत की थी तत्पश्चात प्राधिकारी ने अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना सं.14/23/2013-डीजीएडी दिनांक 26 फरवरी, 2015 को अधिसूचित किए थे, जिनमें चीन जन.गण.

से संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) लगाने की सिफारिश की गई थी। वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 20 मई, 2015 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 19/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से 5 वर्ष के लिए निश्चयात्मक एडीडी लगाया गया था और वह 19 मई, 2020 तक लागू है।

2. अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले न हटाया जाए तो वह उसे लागू किए जाने की तारीख से 5 वर्ष पूरे होने के बाद निष्प्रभावी हो जाता है और प्राधिकारी के लिए इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
3. उक्त शुल्क के समाप्त होने से पहले घरेलू उद्योग बनाने वाले मै. पोसी फार्माकैम प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को होने वाली परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आरोप लगाते हुए चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "सोडियम साइट्रेट" के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जाँच शुरू करने का अनुरोध किया गया है।
4. प्राधिकारी ने प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना सं. 7/21/2019-डीजीटीआर के माध्यम से निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत की थी ताकि इस बात की जाँच की जा सके कि क्या चीन जन.गण. के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर उक्त शुल्कों की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
5. वर्तमान समीक्षा जाँच के दायरे में संबद्ध देश के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित उक्त वस्तु के आयातों से संबंधित अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना सं.14/23/2013-डीजीएडी दिनांक 26 फरवरी, 2015 के सभी पहलू शामिल हैं।

क. प्रक्रिया

6. इस जाँच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है :
 - i. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की शुरुआत करने वाली दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 की एक अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित हुई, जारी की।
 - ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देश की सरकार को उनके दूतावास के जरिए, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादकों को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक-एक प्रति भेजी थी और उनसे विहित समय सीमा के भीतर अपने-अपने विचारों से लिखित में अवगत कराने का अनुरोध किया था।
 - iii. प्राधिकारी ने संबंधित नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध देश के दूतावास के जरिए उसकी सरकार और भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कराई थी। आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति सार्वजनिक फाइल में भी उपलब्ध कराई गई थी और अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षों को दी गई थी।
 - iv. प्राधिकारी ने सूचना की एक-एक प्रति आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, अन्य भारतीय उत्पादकों और घरेलू उद्योग को भी भेजी थी और उनसे जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के 40 दिनों भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया था। प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मंगाने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी थी:

क. मै. क्विंगडाओं सोनेफ कैमिकल कंपनी लि0, आरएम 1404, जिनहुआ बिल्डिंग 1, नं. 100, नानजिंग रोड, शेनडांग, क्विंगडाओ, चीन;

- ख. मै. वाईफेंग वोट इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी लि०, नं. डी 2704, डोंग फेंग स्ट्रीट, शेनडांग-261000, वाईफेंग, चीन;
- ग. मै.हाई हर्ड ग्रुप कं., लि., इंडस्ट्रियल पार्क ऑफ जेयू काउंटी, शेनडांग-276500, रिझाओ, चीन;
- घ. मै. फूडकैम इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, बिल्डिंग 9, 2277, जूकॉंगझी रोड, झांगजियांग हाई-टेक पार्क, शंघाई-201203, चीन;
- ड. मै. यीझिंग झेनफेन मेडिकल कैमिकल कंपनी लि., झोऊटाई टाउन, यीझिंग सिटी, जियांगसु प्रोविन्स- 214262, चीन;
- च. मै. हेनान हुआरोंग कैमिकल कंपनी लि., 21ए, बीजिंग बिल्डिंग, नं. 56, गुओमाओ रोड, हेना हैकोऊ -570125, चीन;
- छ. मै. लियानयुंगांग डोंगताई फूड इनग्रीडिअंस कंपनी लि., कमरा 201, यूनिट-1, नं. ए-3, बिल्डिंग, 28 यिंगझोऊ रोड, झिंगपू डिस्ट्रिक्ट, जियांगसु-222000, लियान युगांग, चीन;
- ज. मै. लियानयुगांग शूरेन केचांग फूड, एडिटिव कंपनी लि., दि ईस्ट ऑफ लिनहोंग रोड, दापू कैमिकल इंडस्ट्री जोन, लियानयुनगांग टीईडीए, जियांगसु- 222000, चीन;
- झ. मै. सी ओ एफ सी ओ, फोरच्यून प्लाजा, नं. 8, चाओ यांग मेन साउथ स्ट्रीट, चाओ यांग जिला, बीजिंग, चीन;
- ञ. मै. लाइवू तैहे बायो कैमिस्ट्री कंपनी लि., लाइवू, नं. 106, लूझोंग ईस्ट स्ट्रीट, लाइवू, 271100, ताइहे सिटी, शेनडांग, चीन;
- ट. मै. वाइफेंग एनसिंग इंडस्ट्री कंपनी लि०, चांगले, 1567 चांगशेंग स्ट्रीट, चांगले वाइफेंग, 262499 चीन ।
- v. भारत में चीन जन.गण. के दूतावास से चीन जन.गण. के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था । ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ-साथ दूतावास को भी भेजी गई थी ।
- vi. संबद्ध जाँच की शुरुआत के उत्तर में संबद्ध देश से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर देकर जवाब दिया है:
- क. मै. जियांगसु गुओजिन यूनियन एनर्जी कं. लि.
- vii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं से आवश्यक सूचना मंगाते हुए आयातक प्रश्नावली भेजी थी:
- क. मै. क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन प्रा. लि., जीआई-17, जी टी करनाल रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, आज्ञादपुर, दिल्ली-110033
- ख. मै. डैस्मो एक्सपोर्टर्स, 125, अरेंजा आर्केड, सैक्टर-17, वाशी, नवी मुंबई- 400703, महाराष्ट्र ।
- ग. मै. न्यू ड्रग एंड कैमिकल कंपनी, 4, जय महल इस्टेट दूसरा तल, 20/48, लोहार चॉल, महाराष्ट्र ।
- घ. मै. कलरकॉन एशिया प्रा. लि., 38-एबी, गर्वनमेंट इंडस्ट्रियल ईस्टेट, चारकॉप, कांदीवली वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र ।
- ड. मै. एसिड-इंडिया, मूलरात्रा दूसरा तल, 334, नरशी नाथ स्ट्रीट, मुंबई- 400 703 महाराष्ट्र ।
- च. मै. प्रदीप कुमार फार्मा प्रा. लि., पता: 701, अरूण चैम्बर्स, 80, तारदेव रोड, मुंबई- 400034 ।
- छ. मै. अमिजाल कैमिकल्स, 5/4, मुंगेकर इंडस्ट्रियल ईस्टेट, आरे रोड के पीछे, गोरे गांव (ईस्ट), मुंबई, महाराष्ट्र ।

- ज. मै. अडानी फार्माकैम प्रा.लि., प्लाट नं. 2729, से 2731, रोड- आई-1, लोधिका, जी.आई.डी.सी., गाँव-मेटोडा, ताल्. लोधिका, राजकोट- 360021, गुजरात ।
- झ. मै. सुजाता कैमिकल्स, 802, जी.आई.डी.सी., माकरपुरा, वदोदरा – 390010, गुजरात ।
- ञ. मै. प्रकाश कैमिकल्स प्रा.लि., इंडुचाचा हाउस, चाहनी ऑक्टोरी नाका के सामने, बड़ोदरा, गुजरात ।
- ट. मै. आर एम कैमिकल्स, गुरु कृपा कॉम्प्लैक्स, 131, अन्नापिलाई स्ट्रीट, सोकारपेट, चेन्नई-600001, तमिलनाडु ।
- ठ. मै. फाईजर लिमिटेड, फाइजर सेंटर, पटेल ईस्टेट, एस वी रोड, जोगेश्वरी (वेस्ट), मुंबई- 400102, महाराष्ट्र ।
- ड. मै. एफडीसी लि., बी-8, एमआईडीसी एरिया, वलुज-431136, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।
- ढ. मै. वल्लेंस फार्मास्युटीकल लिमिटेड, तीसरा तल, डेमो ट्रेड सेंटर बिल्डिंग, पट्टप प्लाजा, ईडीसी, कॉम्प्लैक्स, पनाजी – 403001, गोवा ।
- viii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु की निम्नलिखित ज्ञात एसोसिएशनों से आवश्यक सूचना मंगाते हुए आयातक प्रश्नावली भेजी थी ।
- (क) एसोचैम
- (ख) फिक्की
- (ग) सी आई आई
- ix. संबद्ध वस्तु के किसी भी आयातक ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर दायर करके जवाब नहीं दिया है ।
- x. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय अंश को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए एक सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया था ।
- xi. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से क्षति अवधि और उससे पहले की अवधि तथा जाँच अवधि और जाँच अवधि के पश्चात के लिए भी संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदा-वार ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था । प्राधिकारी ने सौदों की आवश्यक जाँच के साथ आयातों की मात्रा की गणना और अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर भरोसा किया है । प्राधिकारी ने पीओआई के लिए डीजी-सिस्टम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) से भी आंकड़े प्राप्त किए हैं ताकि उन्हें विनिर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातों की मात्रा से सह-संबंधित करके प्रस्तुत उत्तरों को संभव सीमा तक वैधीकृत किया जा सके ।
- xii. क्षति रहित कीमत (एनआईपी) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की ईष्टतम लागत तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने और उसकी बिक्री करने की लागत के आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध III के अनुसार ज्ञात की गई है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ।
- xiii. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 11 मार्च, 2019 को आयोजित मौखिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी प्रदान किया । उन पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, से मौखिक रूप से प्रस्तुत अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था । पक्षकारों को विरोधी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोधों को एकत्रित करने की सलाह भी दी गई थी और उन्हें खंडन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था ।
- xiv. प्राधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना का संगत समझी गई सीमा तक मौके पर सत्यापन किया गया था ।

- xv. वर्तमान समीक्षा जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2018 से 30 जून, 2019 (15 माह) है। क्षति और संभावना विश्लेषण के संदर्भ में रूझानों की जाँच में अप्रैल, 2015-मार्च, 2016, अप्रैल, 2016 - मार्च, 2017, अप्रैल, 2017 - मार्च, 2018 और पीओआई की अवधियां शामिल हैं।
- xvi. इस जाँच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों पर उनके साक्ष्य द्वारा समर्थित होने और वर्तमान जाँच के लिए संगत होने की सीमा तक इस जाँच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से विचार किया गया है।
- xvii. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहाँ आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षों को उसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहाँ संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
- xviii. जहाँ कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जाँच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया है या उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया है अथवा जाँच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहाँ प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकार को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचारों/समुक्तियों को दर्ज किया है।
- xix. नियमावली के नियम 16 के अनुसार जाँच के अनिवार्य तथ्यों को 16 अप्रैल, 2020 के प्रकटन विवरण द्वारा ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था और उन पर प्राप्त टिप्पणियों को प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक इन अंतिम जाँच परिणामों में शामिल किया गया है। निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन विवरण के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं :-
- (क) मै. पोसी फार्माकैम प्राइवेट लिमिटेड
- (ख) मै. जियांगसु गुओजिन यूनियन एनर्जी कं. लि.,
- xx. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन के बाद के अधिकांश अनुरोध केवल उनके पूर्ववर्ती अनुरोधों का दोहराव हैं और प्राधिकारी द्वारा जारी प्रकटन विवरण तथा इन अंतिम जाँच परिणामों में भी उनका पहले ही समाधान कर दिया गया है। अन्य प्रकटन पश्चात अनुरोधों की संगत समझी गई सीमा तक इन जाँच परिणामों में अतिरिक्त रूप से जाँच की गई है।
- xxi. इस दस्तावेज में *** चिन्ह हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने उसे नियमानुसार गोपनीय ही माना है।
- xxii. पीओआई के लिए प्राधिकारी द्वारा विनिमय दर 1 अम.डा. = 70.73 रूपए है के रूप में ली गई है।

ख. विचाराधीन उत्पाद का दायरा और समान वस्तु

7. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम साइट्रेट है।

ख.1 घरेलू उद्योग के विचार

8. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:-

- i. वर्तमान याचिका में पीयूसी 'सोडियम साइट्रेट' है। सोडियम साइट्रेट एक रासायनिक यौगिक होता है जो मोनोसोडियम साइट्रेट, डाईसोडियम साइट्रेट और ट्राईसोडियम साइट्रेट के रूप में आता है। सोडियम साइट्रेट सिट्रिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है। सिट्रिक एसिड की तरह इसका स्वाद खट्टा होता है। अन्य लवण की तरह इसका स्वाद नमकीन भी होता है। पीयूसी का सौदा निम्नलिखित नामों से किया गया है -

- क. सोडियम साइट्रेट
 ख. ट्राई सोडियम साइट्रेट
 ग. ट्राई सोडियम साइट्रेट डिहाइड्रेट

- घ. सोडियम साइट्रेट डिहाइड्रेट
 ड. ट्राईबेसिक सोडियम साइट्रेट
 च. सोडियम साइट्रेट ट्राईबेसिक डिहाइड्रेट
 छ. सोडियम साइट्रेट डाईबेसिक सेसक्विहाइड्रेट
 ज. सोडियम साइट्रेट मोनोबेसिक बायोएक्स्ट्रा
- ii. पीयूसी को अनुप्रयोगों के आधार पर अलग-अलग वर्णित किया जा सकता है। अनुप्रयोगों के आधार पर यह औद्योगिक, खाद्य अवयव, फार्माग्रेड (आईपी/बीपी/यूएसपी), रीजेंट, फिश ग्रेड, का हो सकता है। वर्तमान याचिका में सोडियम साइट्रेट के सभी रूप, सभी किस्में और समस्त संभव वर्णन शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें सोडियम साइट्रेट के सभी वैल्पिक नाम शामिल हैं।
- iii. पीयूसी को प्राधिकारी द्वारा मूल जाँच में दिनांक 26 फरवरी, 2015 के उनके अंतिम जाँच परिणामों में परिभाषित किया गया था। संबद्ध वस्तु के वर्णन अथवा उसके प्रयोग में पिछले 5 वर्षों के दौरान कोई बदलाव नहीं हुआ है। अतः मूल जाँच में पीयूसी के वर्णन और दायरे का इस समीक्षा जाँच में भी संदर्भ लिया गया है और उस पर भरोसा किया गया है।
- iv. चीन जन.गण. से निर्यातित पीयूसी और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। वर्तमान मामले में दोनों उत्पाद तकनीकी विशेषताओं, समान अंतिम प्रयोगों, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता तथा टैरिफ वर्गीकरण के अनुसार तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।
- v. विचाराधीन उत्पाद का आयात सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय-29 के अधीन सीमाशुल्क उपशीर्ष 29181520 के अंतर्गत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ख.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

9. सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों ने पीयूसी अथवा समान वस्तु के दायरे के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ख.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच:

10. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम साइट्रेट है। संबद्ध वस्तु का प्रयोग मुख्यतः एक एक्सपैक्टोरेट और यूरिन एलकेनाइजर के रूप में किया जाता है। सोडियम साइट्रेट एक रासायनिक यौगिक है जो मोनोसोडियम साइट्रेट, डाई सोडियम साइट्रेट और ट्राइसोडियम साइट्रेट के रूप में आता है।
11. संबद्ध वस्तु सीमा शुल्क उप शीर्ष 29181520 के अंतर्गत आती है। तथापि, उक्त सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। शुल्क लागू करने और एकत्रित करने के लिए वस्तुओं का वर्णन लागू होगा।
12. चूंकि यह एक निर्णायक समीक्षा जाँच है, इसलिए पीयूसी का दायरा वही रहेगा जो मूल तथा उसके बाद की समीक्षा जाँच में रहा था। मूल जाँच में यथाउल्लिखित पीयूसी इस प्रकार था :

“वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद “सोडियम साइट्रेट” है। यह एक रासायनिक यौगिक होता है जो मोनोसोडियम साइट्रेट, डाईसोडियम साइट्रेट और ट्राई सोडियम साइट्रेट के रूप में आता है। यह साइट्रिक एसिड का सोडियम साल्ट है और इसका स्वाद खट्टा एवं नमकीन होता है। सोडियम साइट्रेट का मुख्य रूप से उपयोग भेषज उद्योगों में एक्सपैक्टोरेट तथा यूरिन अल्कानाइजर के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग भेषजीय साधन, दुग्ध उद्योगों में खाद्य अभिवर्धक, जलशोधन में प्रयोगशाला रीजेंट, पेय पदार्थों में एसिडिटी नियामक, चीज निर्माण के समय तेलों के लिए एक इमल्सीफायर तथा खाद्य आदि में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी किया जाता है।

विचाराधीन उत्पाद का सौदा निम्नलिखित वैल्पिक नामों से भी किया जा सकता है क. सोडियम साइट्रेट ख. ट्राई सोडियम साइट्रेट ग. ट्राई सोडियम साइट्रेट डिहाइड्रेट घ. सोडियम साइट्रेट डिहाइड्रेट ड. ट्राई बेसिक

सोडियम साइट्रेट च. सोडियम साइट्रेट ट्राई बेसिक डिहाइड्रेट छ. सोडियम साइट्रेट डाईबेसिक सेसक्विहाइड्रेट ज. सोडियम साइट्रेट मोनोबेसिक बायोएक्स्ट्रा ।

सोडियम साइट्रेट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय-29 में सीमाशुल्क उपशीर्ष 29181520 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।”

13. नियम 2(घ) में समान वस्तु की परिभाषा में विनिर्दिष्ट है कि “समान वस्तु” से ऐसी कोई वस्तु अभिप्रेत है जो जाँच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;
14. “समान वस्तु” शब्दों की उपर्युक्त परिभाषा से यह नोट किया जाता है कि समान वस्तु जाँच के अधीन वस्तु से सभी प्रकार से समरूप या समान होनी चाहिए। सभी प्रकार से समान वस्तु या समरूप वस्तु के अभाव में समान वस्तु के दायरे में ऐसी वस्तुएं भी शामिल होंगी जिनमें जाँच के अधीन वस्तु से बिल्कुल मिलती-जुलती विशेषताएं हैं।
15. रिकॉर्ड में दी गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर भी प्रयोग करते हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक द्वारा विनिर्मित उत्पाद संबद्ध देश से भारत में आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु है।

ग. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

16. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-
 - i. यह आवेदन मै0 पोजी फार्मा कैम प्रा0 लि0 (जिसे आगे “पोजी फार्माकैम”) भी कहा गया है, द्वारा दायर किया गया है। यह आवेदन मै. अडानी फार्माकैम. प्रा.लि., मै. अल्पाइन लेब्स, मै. इंडिया फॉस्फेट और मै. सुनील कैमिकल्स द्वारा समर्थित है। समर्थक कंपनियों के साथ आवेदक का हिस्सा भारतीय उत्पादन का लगभग 61 प्रतिशत बनता है। अन्यथा भी मै. पोसी फार्मा कैम भारत में संबंधित उत्पाद के उत्पादन में पीओआई में पर्याप्त हिस्सा (लगभग 32 प्रतिशत) रखता है।
 - ii. मूल जाँच में मै. सुनील कैमिकल्स समर्थक था उस समय भारतीय उद्योग में 6 उत्पादक अर्थात् पोजी फार्मा कैम प्रा. लि., मै. सुनील कैमिकल्स, मै. अमीजाल कैमिकल्स, मै. सुजाता कैमिकल्स, मै. वासा फार्मा कैम. और मै. अडानी फार्माकैम प्रा.लि. शामिल थे। एडीडी के लागू होने के बाद से भारत में नई क्षमताओं को स्थापित किया गया और उत्पादकों की कुल संख्या 6 से बढ़कर 11 हो गई। मौजूदा उत्पादक भी एडीडी के लागू होने को देखते हुए अपनी क्षमता बढ़ाने में सक्षम थे।
 - iii. वर्तमान में भारत में निम्नलिखित 11 उत्पादक हैं:
 - (क) वर्तमान एसएसआर जाँच तथा मूल जाँच में भी घरेलू उद्योग -
 - (1) मै. पोसी फार्माकैम प्राइवेट लिमिटेड
 - (ख) वर्तमान एसएसआर जाँच में समर्थ -
 - (1) मै. अडानी फार्माकैम प्राइवेट लिमिटेड
 - (2) मै. सुनील कैमिकल्स
 - (3) मै. इंडिया फॉस्फेट
 - (4) मै. एल्पाइन लेब्स

(ग) अन्य उत्पादक -

- (1) मै. अमीजल कैमिकल्स
- (2) मै. सुजाता कैमिकल्स
- (3) मै. वासा फार्माकैम प्राइवेट लिमिटेड
- (4) मै. देवेन्द्र कीर्ति फार्माकैम प्रा. लि.
- (5) मै. वांग फार्मास्युटीकल्स एंड कैमिकल्स
- (6) मै. इशिता ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज लि.

- iv. जाँच शुरुआत अधिसूचना के पैरा-7 के अंतर्गत समर्थकों के नाम के न होने के संबंध में यह बताया जाता है कि घरेलू उद्योग का दायरा समर्थकों के दायरे से अलग होता है। समर्थक घरेलू उद्योग नहीं होते हैं क्योंकि घरेलू उद्योग क्षति संबंधी सूचना प्रदान करता है। घरेलू उद्योग ने समर्थकों को घरेलू उद्योग मानने का अनुरोध प्राधिकारी से नहीं किया है। अन्य भारतीय उत्पादकों ने केवल प्रचालनों के छोटे आकार और लागत निर्धारण संबंधी अपेक्षाओं की जटिल प्रकृति के कारण क्षति संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं। अन्य घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता है।
- v. एसएसआर जाँच के स्तर पर स्थिति का विश्लेषण करना अनिवार्य अपेक्षा नहीं है। इस बात के होते हुए भी घरेलू उद्योग ने बताया है कि भारतीय उत्पादन में उसका हिस्सा 32 प्रतिशत है और इस प्रकार, यह भारतीय उत्पादकता "एक प्रमुख हिस्सा" बनता है। आवेदक और समर्थकों का कुल मिलाकर भारतीय उत्पादन में 61 प्रतिशत हिस्सा बनता है, इसलिए यह नियमावली के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करते हैं।
- vi. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है न ही वे संबद्ध वस्तु के किसी उत्पादन या आयातक से संबंधित हैं।
- vii. सहयोगी उत्पादक/निर्यातकों की ओर से यह धारणा बताई गई है कि क्षति संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं कराने वाले अन्य घरेलू उत्पादक अच्छा कार्य निष्पादन कर रहे होंगे।
- viii. अन्य भारतीय उत्पादकों का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन की दृष्टि से काफी कम है। भारतीय उत्पादन का 32 प्रतिशत हिस्सा होने के बावजूद घरेलू उद्योग एक एमएसएमई है। अन्य भारतीय उत्पादक उससे भी छोटे हैं और एम एस एम ई भी हैं।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

17. घरेलू उद्योग की पात्रता और उसकी स्थिति के संबंध में सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- i. घरेलू उद्योग की स्थिति संबंधी परीक्षण एक अनिवार्य अपेक्षा है फिर चाहे वह जाँच मूल जाँच हो अथवा निर्णायक समीक्षा जाँच हो। घरेलू उद्योग की स्थिति की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। व्यापार उपचार जाँचों के लिए प्रचालन प्रथाओं की नियम पुस्तिका के पैरा 4.13 का संदर्भ दिया गया है जिसके द्वारा एसएसआर में घरेलू उद्योग की स्थिति संबंधी जाँच नए सिरे से करनी होती है। एसएसआर के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति एक वैध जाँच के लिए महत्वपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण स्थिति से जाँच की शुरुआत अवैध हो सकती है। घरेलू उद्योग द्वारा लिखित अनुरोध में दिया गया विवरण डीजीटीआर की पूर्ववर्ती प्रक्रिया के विपरीत है और उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- ii. पैरा-7 के अंतर्गत जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में उल्लेख है कि आवेदक को पात्र डीआई माना जा सकता है। तथापि, उक्त पैर में समर्थकों के नाम नहीं बताए गए हैं। जाँच शुरुआत अधिसूचना में आवेदन में उल्लिखित निम्नलिखित समर्थकों के नाम नहीं बताए गए हैं।

(क) मै. अदनी फार्माकैम प्राइवेट लिमिटेड

- (ख) मै. सुनील कैमिकल्स
 (ग) मै. इंडिया फॉस्फेट
 (घ) मै. एल्पाइन लेब्स
- iii. व्यापार सूचना सं. 13/2018 दिनांक 27 सितंबर, 2019 के अनुसार, किसी समर्थक को उक्त व्यापार सूचना में प्राधिकारी द्वारा विहित प्रपत्रों में पूरा उत्तर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। ऊपर उल्लिखित चार दावा किए गए समर्थकों ने उक्त व्यापार सूचना का अनुपालन नहीं किया है और कोई दस्तावेज या वार्षिक रिपोर्ट कार्य निष्पादन मापदंडों, इस आवेदन का समर्थन करने के कारणों और सह-याचिका नहीं बनने, समर्थक कंपनी और आवेदकों अथवा विदेशी उत्पादकों द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रक्रिया, जहाँ संभव हो, उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख कच्ची सामग्रियों के नामों और पैकिंग सामग्री तथा पीयूसी की बिक्री आदि जैसे ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं। अतः ऐसी समर्थक कंपनियों की सार्थक और पर्याप्त सूचना समर्थक कंपनियों के आर्थिक मापदंडों के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के पास उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त कंपनियों को वर्तमान जाँच में आवेदन के समर्थक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
- iv. आवेदन में उल्लिखित 11 उत्पादकों में से केवल एक ने आवेदन क्यों दायर किया, स्पष्ट नहीं है। अन्य घरेलू उत्पादक अपनी उच्च आय और बढ़ते हुए कार्य निष्पादन के कारण संभवतः भागीदारी नहीं कर रहे हैं।
- v. घरेलू उद्योग लिखित अनुरोधों में समर्थकों के आंकड़े प्रस्तुत करने में विफल रहा है। इससे स्पष्टतः सिद्ध होता है कि भारत में घरेलू उत्पादकों की ओर से चयनात्मक भागीदारी द्वारा प्राधिकारी को जानबूझकर गुमराह किए जाने का प्रयास किया गया है। प्राधिकारी को इसे हतोत्साहित करना चाहिए और या तो समर्थकों को अपक्षित सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहना चाहिए या आवेदन को अस्वीकृत किया जाना चाहिए और जाँच समाप्त की जानी चाहिए।
- vi. वर्तमान जाँच शुरुआत से ही अवैध है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

18. नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

“(ख) ‘‘घरेलू उद्योग’’ का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ‘‘घरेलू उद्योग’’ पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

19. वर्तमान निर्णायक समीक्षा संबंधी आवेदन मै. पोसी फार्माकैम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। मै. अदानी फार्माकैम प्राइवेट लिमिटेड, मै. सुनील कैमिकल्स, मै. इंडिया फॉस्फेट तथा मै. एल्पाइन लेब्स ने आवेदन का समर्थन किया है। संबद्ध वस्तु के 6 अन्य घरेलू उत्पादक हैं अर्थात् मै. अजमल कैमिकल्स, मै. सुजाता कैमिकल्स, मै. वासा फार्माकैम प्रा. लि., मै. देवेन्द्र कीर्ती फार्माकैम लि., मै. वेंग फार्मास्युटीकल्स एंड कैमिकल्स तथा मै. इशिता ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
20. अन्य उत्पादकों के भागीदारी न करने के कारणों के संबंध में प्राधिकारी घरेलू उद्योग के अनुरोध को नोट करते हैं कि ये उत्पादक लघु उद्योग कंपनियां हैं और उन्हें विस्तृत प्रपत्र तैयार करने में समस्याएं हो सकती हैं। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदक मूल जाँच में भी एकमात्र आवेदक रहा था। वर्तमान जाँच में आवेदक का उत्पादन 32 प्रतिशत है और कुल भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है। किसी भी अन्य घरेलू उत्पादक का अलग से कोई खास उत्पादन नहीं है और किसी भी तरह से उनके उत्पादन के संबंध में रिकॉर्ड में कोई सूचना नहीं है। इसके अलावा, आवेदक संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं हैं, न ही उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है। किसी भी घरेलू उत्पादक ने आवेदन का विरोध नहीं किया है। इस

प्रकार, घरेलू समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों द्वारा आवेदन के समर्थन या विरोध की मात्रा की जाँच के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा किया गया है।

21. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग है और यह मानते हैं कि आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

घ. गोपनीयता

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

22. निर्यातकों/आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

- सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों ने अपने प्रश्नावली के उत्तर के सार्वजनिक अंश में सूचना प्रदान नहीं करके अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। यहाँ तक कि सूचीबद्ध सूचना भी नहीं दी गई है। कार्य निष्पादन मापदंडों संबंधी परिशिष्ट-1 प्राधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र के अनुसार नहीं है। केवल क्षमता, उत्पादन, पोत लदान और मालसूची के लिए मापदंड दिए गए हैं। अन्य मापदंडों को प्राधिकारी द्वारा विहित व्यापार सूचना का उल्लंघन करते हुए प्रपत्र से पूरी तरह से हटा दिया गया है। संबद्ध देश में अन्य उत्पादकों की बिक्री और संबद्ध देश में मांग संबंधी सूचना एसएसआर प्रश्नावली-II द्वारा यथापेक्षित रूप में प्रदान नहीं की गई है। सहयोगी उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत उत्तर बिल्कुल अधूरा है और उसे अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए।
- घरेलू उद्योग ने नियमावली के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है। घरेलू उद्योग ऐसी सूचना का सार्वजनिक रूप से प्रकटन नहीं कर सकता है जिसकी गोपनीयता नियमावली के अंतर्गत संरक्षित है। सहयोगी उत्पादक/निर्यातक द्वारा ऐसी कोई घटना नहीं बताई गई है जहाँ घरेलू उद्योग ने गोपनीयता का दावा किया हो और नियमों में उसकी अनुमति न हो अथवा गोपनीयता की अन्यथा जरूरत न हो।
- लागत निर्धारण संबंधी सूचना की गोपनीयता के संबंध में प्राधिकारी ने इस सूचना के बारे में संगत रूप से गोपनीयता की अनुमति दी है। किसी भी तरह से यह सूचना अत्यधिक व्यापार संवेदनशील है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

23. घरेलू उद्योग के गोपनीयता संबंधी दावों के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

- डीजीटीआर को आवेदन में दी गई सूचना के आधार पर वर्तमान जाँच शुरू नहीं करनी चाहिए थी। आवेदन के अगोपनीय अंश से उसमें लगाए गए आरोपों की तर्कसंगत समझ नहीं बन पाती है। आवेदन का अगोपनीय अंश नियमावली के नियम-7 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है।
- घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और एक अधूरा आवेदन प्रस्तुत किया है।
- भारतीय उत्पादन में आवेदक की हिस्सेदारी को आवेदन के अनुबंध-2.3 में "सारांशीकरण के लिए अव्यवहार्य व्यापार संवेदनशील सूचना" के आधार पर गोपनीय रखा गया है। जबकि घरेलू उद्योग और समर्थकों की संयुक्त हिस्सेदारी को प्रदान किया गया है।
- आवेदन के खंड-vi (लागत निर्धारण सूचना) के उत्तर में घरेलू उद्योग ने कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। घरेलू उद्योग ने आवेदन के भाग- vi में पूछे गए सभी प्रश्नों के लिए "कृपया संलग्न प्रपत्र क से ट देखें" उत्तर दिया है, परंतु इन प्रपत्रों के अगोपनीय अंश में कुछ भी नहीं बताया गया है। घरेलू उद्योग के लिए इस दावे का तर्कसंगत औचित्य दर्शाना अपेक्षित है किंतु वह ऐसा करने में विफल रहा है।
- घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना बिल्कुल अधूरी है। प्राधिकारी से घरेलू उद्योग को उसके अगोपनीय सारांश के साथ-साथ उक्त सूचना प्रस्तुत करने का निदेश देने का अनुरोध किया जाता है ताकि सहयोगी उत्पादक/निर्यातक उन पर टिप्पणियां दे सकें।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

24. गोपनीयता के संबंध में जाँच की प्रक्रिया के दौरान आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक जाँच और निम्नानुसार समाधान किया गया है।
25. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल को निरीक्षण के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों हेतु विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना का अगोपनीय अंश उपलब्ध रखा था।
26. सूचना की गोपनीयता के बारे में नियमावली के नियम 7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:
- "7. गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जाँच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियाँ या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।
- (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।
- (3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"
27. सूचना की गोपनीयता के संबंध में दी गई दलीलों के बारे में यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्ता के संबंध में जाँच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहाँ आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षों को उसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहाँ संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराए थे। आयातों, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन मापदंडों और क्षति मापदंडों से संबंधित सूचना सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराई गई है। व्यापार संवेदी सूचना को परिपाटी के अनुसार गोपनीय रखा गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई सूचना जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हो, गोपनीय नहीं मानी जा सकती है।

ड. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन का निर्धारण

28. अधिनियम की धारा 9 क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:
- i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-
- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा
- उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

(ख) परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

ड.1 घरेलू उद्योग के विचार

29. सामान्य मूल्य के संबंध में आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:-

- i. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(1) का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है तथा यह बताया है कि चीन के उत्पादकों को यह दर्शाने का निदेश दिया जाए कि अनुच्छेद 15(क)(1) के प्रावधानों से संगत बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं उस विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में प्रचलित हैं ताकि चीन की कीमतों और लागतों का उपयोग जाँच के अधीन उद्योग के लिए किया जा सके। इसके अलावा, आवेदक ने यह सिद्ध करने के लिए संगत साक्ष्य प्रदान किए हैं कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण उत्पादन और बिक्री के संबंध में, समान वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं प्रचलित हैं।
 - ii. आवेदक ने दावा किया है कि यदि नियमावली के पैरा-1-6 के प्रावधानों के अनुसार ऊपर उल्लिखित दृष्टिकोण लागू नहीं होता है, तो चीन की घरेलू लागतों और कीमतों को तब तक स्वीकृत नहीं किया जा सकता है जब तक चीन के निर्यातक बाजार अर्थव्यवस्था का परीक्षण पास न कर लें। उक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था धारणा के मद्देनजर और चीन से प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अधीन चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार अनुमानित किया गया है।
 - iii. उपर्युक्त के मद्देनजर, आवेदक ने चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण घरेलू उद्योग की लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके उसके आधार पर भारत में उत्पादन लागत के अनुसार किया है।
 - iv. आवेदक ने 18 मार्च, 2020 के अपने लिखित अनुरोध में 11 मार्च, 2020 की मौखिक सुनवाई के बाद यह बताया था कि नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अंतर्गत यथाप्रदत्त उसने सभी विकल्पों पर क्रमबद्ध ढंग से विचार किया था।
- क. सामान्य मूल्य को इस कारण से बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है कि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ऐसा सामान्य मूल्य समान वस्तु की व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में तुलनीय कीमत उस दशा में होनी चाहिए जब वह ऐसे बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में खपत के लिए लक्षित हो। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4 के अंतर्गत यथा निर्धारित उचित तुलना के सिद्धांत भी इस संबंध में संगत हैं। आवेदक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में किसी उत्पादक से ऐसी सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहा है।
 - ख. परिकलित मूल्य का अर्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में सामान्य मूल्य के साक्ष्य रूप में उत्पादन लागत (लाभ के लिए तर्कसंगत योग सहित) भी हो सकता है। तथापि, इसके बारे में कोई प्रकाशित सूचना उपलब्ध नहीं है।
 - ग. आवेदक के पास बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से अन्य देश को पीयूसी संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से भारत को कीमत के संबंध में यह देखा जा सकता है कि चीन जन.गण. से इतर अन्य देशों से आयात मात्रा की दृष्टि से निर्यातों का बहुत कम हिस्सा है और इसलिए उन्हें सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि कंबोडिया से आयात वास्तव में चीन के मूल के हैं क्योंकि कंबोडिया में पीयूसी का कोई विनिर्माता नहीं है।

- घ. उपर्युक्त के संबंध में उपलब्ध सूचना के अभाव में तदनुसार प्राधिकारी ने चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ के साथ विधिवत रूप से समायोजन के आधार पर उसकी उत्पादन लागत के अनुसार किया है।

ड.2 हितबद्ध पक्षकारों के विचार

30. सामान्य मूल्य के संबंध में निर्यातकों अथवा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

ड.3.1 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

चीन के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति

31. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जाँचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जाँचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जाँचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जाँचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके

अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

32. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि, अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं तथापि, एक्सेशन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यू टी ओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अधीन प्रावधान में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-8 में निर्धारित मापदंड बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे के संबंध में पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के जरिए संतुष्ट किया जाना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन.गण. से प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का पूरक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के प्रावधानों के अनुसार की जानी अपेक्षित है।
33. तदनुसार, संबद्ध देश से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निर्यात कीमत निम्नानुसार निर्धारित की गई है।

चीन जन.गण. में सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

34. चूंकि चीन जन.गण. से किसी भी उत्पादक ने अपने स्वयं के आंकड़ों/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार निर्धारित किया गया है।
35. नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में निम्नानुसार व्यवस्था है :

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जाँच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जाँच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

36. रिकॉर्ड में पर्याप्त सूचना के अभाव में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 में यथाप्रदत्त अन्य पद्धतियों के संबंध में सामान्य मूल्य को "किसी अन्य तर्कसंगत आधार" संबंधी पद्धति पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है। अतः प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य को भारत में उत्पादन लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय को शामिल करके तथा तर्कसंगत लाभ जोड़कर विधिवत रूप से समायोजित करके, उसके आधार पर परिकलित किया है। प्राधिकारी द्वारा पी ओ आई के लिए इस प्रकार निर्धारित परिकलित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

निर्यात कीमत का निर्धारण

क. मै. जियांगसु गुओजिन यूनियन एनर्जी कं. लि.

37. मै. जियांगसु गुओजिन यूनियन एनर्जी कं. लि. (जियांगसु) एक उत्पादक है और चीन जन गण से संबद्ध वस्तु का एक निर्यातक है और उसने विहित ढंग और तरीके से प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। यह नोट किया जाता है कि पीओआई के दौरान मै. जियांगसु ने भारत को ***अम.डॉ. के लिए ***मी.ट. और तीसरे देशों को ***अम.डॉ. के लिए ***मी.ट. की निर्यात बिक्रियां की हैं।
38. उनके उत्तर से यह भी नोट किया जाता है कि सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के भारत को निर्यातों के कुछ सौदे एफओबी आधार पर और कुछ सीआईएफ आधार पर किए गए हैं। सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़ा प्रभार, बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, बैंक प्रभार और ऋण लागत का समायोजनों के रूप में दावा किया है।

प्राधिकारी ने अंतरदेशीय भाड़ा, संभलाई प्रभार, समुद्री भाड़ा, बीमा, नकद ऋण, बैंक प्रभार और निर्यातक द्वारा प्रश्नावली के उसके उत्तर में दावा किए गए वैट के लिए समायोजन किए हैं ताकि कारखाना द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत ज्ञात की जा सके। तदनुसार, मै. जियांगसु के लिए कारखाना द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ख. **चीन जन.गण. से अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत**

39. चीन जन.गण. से गैर-प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत प्रतिवादी निर्यातों के निर्यात सौदों पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

ड. 3.2 पाटन मार्जिन

40. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर चीन जन.गण. से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी द्वारा पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है और उसे निम्नांकित तालिका में दिया गया है :

देश	उत्पादक	सामान्य मूल्य / सीएनवी (अम.डॉ./मी.ट.)	निर्यात कीमत (अम.डॉ./मी.ट.)	पाटन मार्जिन (अम.डॉ./मी.ट.)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
चीन जन.गण.	जियांगसु गुओक्सिन यूनियन एनर्जी कं. लि.	***	***	***	***	20-40
	अन्य उत्पादक तथा निर्यातक	***	***	***	***	40-60

41. पाटन मार्जिन नियमावली के अंतर्गत विहित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

च. **क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना**

42. क्षति, संभावना और कारणात्मकता के संबंध में विचार निम्नानुसार है :-

च.1 घरेलू उद्योग के विचार

43. पीओआई में केवल एक मामूली गिरावट के साथ 2017-18 तक मांग में निरंतर वृद्धि होती रही है। इस प्रकार क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के लिए मांग में समग्र वृद्धि देखी गई है।
44. चीन जन.गण. से आयातों में एडीडी के लागू होने के कारण क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है। तथापि, आयात उच्च स्तर पर बने रहे हैं और पाटित कीमतों पर बाजार में आए हैं। यदि एडीडी समाप्त हो जाता है तो ऐसी संभावना है कि संबद्ध देश में उत्पादकों के पास उपलब्ध भारी अधिदेश क्षमता पर विचार करते हुए और संबद्ध वस्तु की आयात की जा रही कीमत पर विचार करते हुए पाटित आयातों में वृद्धि होगी। आयातों में एडीडी के उपचारात्मक प्रभाव के होने के कारण क्षति अवधि के दौरान सापेक्ष रूप से गिरावट आई है तथापि, एडीडी लागू होने के बावजूद यह अभी भी अत्यधिक बने हुए हैं। आयातों, घरेलू विक्रियों, मांग और बाजार हिस्से के विश्लेषण से पता चलता है कि यद्यपि, एडीडी के लागू होने से केवल कुछ उपचारात्मक प्रभाव पड़ा है और वह उस सीमा तक नहीं है कि जो वांछनीय हो क्योंकि आयात अब भी पाटित कीमतों पर बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। आयातों का भारी बाजार हिस्सा अभी भी बना हुआ है।
45. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम स्तर पर है और 2017-18 में थोड़ी सी अवधि को छोड़कर संपूर्ण क्षति अवधि में कीमत कटौती सकारात्मक बनी रही है। अतः यदि एडीडी समाप्त होता है तो घरेलू

उद्योग की कीमतों में कटौती होने की संभावना है। उत्पादन लागत में संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। यद्यपि, बिक्री कीमत में वृद्धि 2017-18 तक उत्पादन लागत के समनुरूप रही थी। तथापि, आयात कीमतों में तेजी से गिरावट के साथ पीओआई में इसमें गिरावट आई है। इसके अलावा, आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा उत्पादन लागत दोनों से कम है। आयातों से एडीडी के समाप्त होने की स्थिति में घरेलू बाजार पर ह्रासकारी/न्यूनकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है।

46. घरेलू उद्योग की क्षमता में बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर और निर्यात बाजारों पर विचार करते हुए संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान वृद्धि का रूझान दर्ज हुआ है। घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में भी उक्त अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। ऐसा सुधार एडीडी के लागू होने के कारण हुआ है। घरेलू बाजार में आयात आवश्यक नहीं है क्योंकि भारतीय उद्योग के पास मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं। तथापि, संबद्ध देश से आयात अब भी काफी अधिक हैं।
47. भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में संबद्ध आयातों के हिस्से में गिरावट के परिणामस्वरूप वृद्धि हुई है। एडीडी लागू होने के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप संबद्ध आयातों से बाजार हिस्से में गिरावट आई है। तथापि, संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा अब भी पर्याप्त बना हुआ है और इस बात की पूरी संभावना है कि यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होता है तो इस बाजार हिस्से में तेजी से वृद्धि होगी।
48. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में पूरी क्षति अवधि में सुधार हुआ है परंतु पीओआई में इसमें गिरावट आई है। निवेश पर आय और नकद लाभ में भी लाभप्रदता जैसा ही रूझान रहा है।
49. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है।
50. रोजगार और मजदूरी में 2015-16 और 2017-18 के बीच वृद्धि हुई है और पीओआई में गिरावट आई है। प्रति इकाई मजदूरी में भी पीओआई में गिरावट आई है। उत्पादन में वृद्धि के अनुक्रम में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने मात्रा और कीमत दोनों मापदंडों की दृष्टि से वृद्धि दर्ज की है। विभिन्न मापदंडों अर्थात् बिक्री मात्रा, बिक्री मूल्य, उत्पादन मात्रा, क्षमता उपयोग में इस अवधि के दौरान सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है। तथापि, जब लाभ और आर ओ आई में सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई तब भी पीओआई में उनमें गिरावट आई और वे ईष्टतम/वांछित स्तर से कमतर रहे जिससे घरेलू उद्योग की कमजोर स्थिति प्रदर्शित होती है। घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में यह सुधार केवल एडीडी के लागू होने की वजह से हुआ था। तथापि, 2017-18 के बाद घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में पीओआई में लाभ, निवेश पर आय, नकद लाभ में गिरावट आई है और भारी सकारात्मक कटौती हुई है।
51. मूल जाँच में कारणात्मक संबंध पहले ही सिद्ध हो गया है। पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृद्धि और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति दोनों संभावनाओं के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है :-
 - i. संबद्ध देश से पाटित आयात एडीडी के लागू रहने के बावजूद पाटित कीमत पर भारतीय पत्तनों में निरंतर प्रवेश कर रहे हैं।
 - ii. संबद्ध आयात घरेलू कीमतों से कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। यदि एडीडी समाप्त हो जाता है तो पाटित आयातों की मात्रा तेजी से बढ़ जाएगी।
 - iii. आयात, पीओआई में घरेलू कीमतों में कटौती और कम कीमत पर बिक्री को बाध्य कर रहे हैं।
 - iv. यदि एडीडी समाप्त हो जाता है और परिणामस्वरूप संबद्ध देश से आयातों में और वृद्धि होती है तो घरेलू उद्योग को इस तथ्य को देखते हुए संबंधित उत्पाद की कीमत में भारी कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि संबंधित उत्पाद एक वस्तु उत्पाद है।
 - v. यदि घरेलू उद्योग कीमतों को कम करने को बाध्य हो जाता है तो इससे स्वाभाविक रूप से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ेगा। लाभ में गिरावट से नकद प्रवाह और निवेश पर आय में गिरावट हो जाएगी।
 - vi. यदि घरेलू उद्योग अपने सामान्य कीमत स्तरों को बनाए रखने का विकल्प चुनता है तो वह अपनी बिक्री मात्राओं को गंवा सकता है क्योंकि उपभोक्ता निरंतर आयातों को अपना लेंगे।

- vii. यदि घरेलू उद्योग बिक्री मात्राओं को गंवाने का विकल्प चुनता है तो मालसूची के स्तर में वृद्धि होगी, उत्पादन, क्षमता उपयोग और लाभप्रदता में गिरावट आएगी, उत्पादन लागत में वृद्धि होगी और लाभ में गिरावट आएगी।
52. यद्यपि, वर्तमान अवधि में आयातों में गिरावट आई है, तथापि, पीओआई में आयात कीमत में गिरावट उत्पादन लागत में गिरावट से काफी अधिक रही थी।
53. सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग के दावे प्रकाशित सूचना के विपरीत हैं, घरेलू उद्योग ने बताया है कि वह कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है और उसमें कहीं भी ऐसा कुछ प्रकाशित नहीं किया है जो याचिका के दावों के विपरीत हो।
54. सहयोगी उत्पादक/निर्यातक का अनुच्छेद 5 का उल्लेख ऐसी स्थिति में बिल्कुल अनपयुक्त है, जहां आवेदन अनुच्छेद-11 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 के अंतर्गत अपेक्षाओं से बिल्कुल अलग हैं। इस बात के होते हुए भी याचिका में हितबद्ध पक्षकार द्वारा अभिज्ञात मापदंडों संबंधी पर्याप्त सूचना दी गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 3 का संदर्भ भी अनपयुक्त है। डब्ल्यू टी ओ के निर्णयों के उल्लेख के संबंध में, वह भी इस कारण से बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है कि वह बात एसएसआर मामलों से संबंधित नहीं है और नई जाँच से संबंधित है। चूंकि वर्तमान जाँच नई जाँच की प्रकृति की नहीं है, इसलिए उल्लिखित मामले किसी भी तरह से लागू नहीं होते हैं।
55. घरेलू उद्योग ने शुल्क की अवधि बढ़ाने के लिए औचित्य के रूप में वर्तमान मात्रात्मक क्षति का दावा नहीं किया है और न ही एडीडी की समय सीमा बढ़ाने के लिए घरेलू उद्योग को वर्तमान मात्रात्मक क्षति होनी चाहिए। घरेलू उद्योग ने एडीडी की समाप्ति की स्थिति में क्षति की संभावना का दावा किया है। उच्च कीमत कटौती और निर्यातकों के पास अत्यधिक क्षमताओं को देखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि वर्तमान एडीडी समाप्त होता है तो आयातों में भारी वृद्धि होगी।
56. सहयोगी उत्पादक/निर्यातक का समर्थक उत्पादकों अथवा अन्य घरेलू उत्पादकों से क्षति संबंधी सूचना के न होने पर जोर दिया जाना स्पष्ट रूप से निराधार है। अन्य घरेलू उत्पादकों का भागीदारी नहीं करने का वास्तविक कारण जटिल अपेक्षाएं और उद्योग की एम एस एम ई प्रकृति है। किसी भी मामले में इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि अन्य घरेलू उत्पादकों का कार्य निष्पादन ऐसा है कि उससे एडीडी का समय बढ़ाने की जरूरत सिद्ध नहीं होती हो।
57. किसी भी मामले में किसी समक्ष जाँच में यह देखने की जरूरत होती है कि एडीडी की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग का संभावित कार्य निष्पादन कैसा होगा। यह तथ्य कि उत्पादकों के पास उनकी घरेलू मांग से काफी अधिक विशाल क्षमताएं हैं, वह निर्यातोंमुख हैं और विभिन्न अन्य क्षेत्राधिकारों द्वारा उत्पादकों पर एडीडी लागू है, पाटित आयातों में अचानक वृद्धि की संभावना को दर्शाता है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
58. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उन्होंने यह दावा नहीं किया है कि वर्तमान अवधि में चीन जन.गण. से पाटन के कारण क्षमता या उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है न ही उन्हें यह दर्शाना अपेक्षित है कि चीन जन.गण. से पाटन के कारण वे अपनी क्षमताएं नहीं बढ़ा पा रहे हैं अथवा उत्पादन और बिक्री में वृद्धि नहीं हो रही है। वास्तव में घरेलू उद्योग इस अवधि के दौरान संरक्षित है, इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग ने क्षमता में वृद्धि की है, अन्य कंपनियों ने देश में क्षमताएं स्थापित की हैं। ऐसी अनेक कंपनियां बाजार में आई हैं जो स्पष्ट रूप से एडीडी लागू करने का सकारात्मक प्रभाव दर्शाता है।
59. पीओआई में पीबीआईटी में गिरावट का कारण यह तथ्य है कि पीओआई में इस तथ्य के बावजूद पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में आयात कीमत में भारी गिरावट आई है कि उत्पादन लागत अनुपातिक सीमा तक कम नहीं हुई है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को पीओआई में उत्पादन लागत में गिरावट की तुलना से अधिक कीमतों को घटाने पर मजबूर होना पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप प्रति इकाई लाभ में भारी गिरावट आई है।

60. एडीडी की समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने की आशंका है। यूएस-जंगरोधी स्टील निर्णायक समीक्षा में अपीलिय निकाय ने स्वयं बताया है कि तीन दशाएं ऐसी होती हैं जो यदि विद्यमान हों तो एडीडी को जारी रखा जाएगा। इस रिपोर्ट के संगत उद्धरण निम्नानुसार हैं :-

अनुच्छेद 11.3 में पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने पर अस्थायी सीमा लगाई गई है। इसमें एक अपवाद के साथ अनिवार्य नियम निर्धारित किया गया है। विशिष्ट रूप से सदस्यों के लिए पाटनरोधी शुल्क को लागू करने के बाद 5 वर्षों के भीतर उसे समाप्त करना अपेक्षित है यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी न होती हों : पहली यह कि समीक्षा शुल्क के लागू होने की तारीख से 5 वर्षों के पूरा होने से पहले शुरू करनी होगी, दूसरी यह कि समीक्षा में प्राधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि शुल्क के समाप्त होने से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरवृत्ति होने की संभावना है और तीसरा यह कि समीक्षा में अधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि शुल्क के समाप्त होने से क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है तो शुल्क को अवश्य समाप्त किया जाना चाहिए।

अपीलीय निकाय द्वारा निर्धारित सभी तीन शर्तें वर्तमान मामले में पूरी होती हैं अर्थात् पहली यह कि निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत शुल्क लागू होने की तारीख से 5 वर्षों के पूरा होने से पहले की गई थी और दूसरी यह कि शुल्कों के समाप्त होने से पाटन के जारी रहने और अत्यधिक हो जाने की संभावना और तीसरी यह कि शुल्क के समाप्त होने से घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने की संभावना है।

61. संबद्ध देश में निर्यातकों के पास अधिशेष क्षमता है और उनमें विभिन्न देशों में वस्तुओं के पाटन की प्रवृत्ति है। चीन से आयात एडीडी के लागू होने के बावजूद पाटन और क्षतिकारी कीमतों पर हो रहे हैं। अन्य क्षेत्राधिकार के जाँच परिणामों के जरिए पाई गई अतिरिक्त क्षमता कुल भारतीय मांग के 26 गुना दर्शाई गई है। इस प्रकार एडीडी के समाप्त होने से पाटन आर और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने की संभावना है।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

62. एसएसआर को केवल तभी शुरू किया जा सकता है कि जहाँ पाटन, वास्तविक क्षति, संभावना और कारणात्मकता के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएं। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना जाँच शुरुआत को उचित ठहराने के लिए खास तौर पर अपर्याप्त है। घरेलू उद्योग नियम 11 और अनुबंध-11 के पैरा IV के अंतर्गत संगत आर्थिक कारकों का मूल्यांकन करने में विफल रहा है। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.3 में प्राधिकारी के लिए जाँच शुरुआत को उचित ठहराने हेतु साक्ष्य की पर्याप्तता की जाँच करना अपेक्षित है। सहयोगी उत्पादक/निर्यातक कनाडा से यूएस-साफवुड लंबर के मामले में भरोसा किया है। इसके अलावा, ग्वाटेमाला-सीमेंट II में यह बताया गया है कि अनुच्छेद 5.2 के अंतर्गत आवेदन यह नहीं दर्शाता है कि अनुच्छेद 5.3 के अंतर्गत जाँच शुरुआत के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। इसके अलावा, सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने यह बताने के लिए मैक्सिको-स्टील पाईप्स और ट्यूब्स पर भरोसा किया है कि केवल जाँच शुरुआत से यह अर्थ नहीं निकलता है कि प्राधिकारी ने पर्याप्त साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट कर लिया है। सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना से घरेलू उद्योग के दावे के विरोध में पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3(1) और अनुच्छेद 3.5 को उद्धरित किया है।
63. रिकॉर्ड में दिए गए तथ्य दर्शाते हैं कि चीन जन गण से संबद्ध वस्तु के आयातों में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग ने जानबूझकर क्षति का आविष्कार किया है। यदि जाँचकर्ता प्राधिकारी जाँच को जारी रखते हैं तो यह निर्धारित होगा कि संबद्ध वस्तु का ऐसा कोई पाटन नहीं हुआ है जिसकी वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।
64. घरेलू उद्योग के दावे प्रकाशित सूचना के विपरीत हैं और क्षति दर्शाने के लिए मनगढ़ंत और जालसाजीपूर्ण हैं।
65. घरेलू उद्योग नियमावली के नियम-11 और उसके अनुबंध 2 के पैरा-iv में सूचीबद्ध कुछ संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का मूल्यांकन करने में विफल रहा है। इकाई कीमत, कुल लागत, निवेश, रोजगार और स्टॉक संबंधी सूचीबद्ध आंकड़े स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए हैं और आवेदन के कथन में विश्लेषित नहीं हैं, जिससे कोई सार्थक विश्लेषण नहीं हो पाता है। इस संबंध में सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने जाँच की शुरुआत के संबंध में नियमावली के नियम 5(3)(ख) को उद्धरित किया है।

66. घरेलू उद्योग और समर्थकों की घरेलू बिक्रियों में 2015-16 में 100 से पीओआई में 206 तक की अत्यधिक वृद्धि हुई है। जबकि उसी समयावधि के दौरान मांग 100 से बढ़कर 166 हो गई है, जबकि संबद्ध देशों से आयात में किसी समयावधि के दौरान 100 से 87 तक की गिरावट आई है। घरेलू उद्योग और समर्थकों की बिक्रियों में वृद्धि स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई मात्रात्मक क्षति नहीं हुई है।
67. चीन जन.गण. के बाजार हिस्से में आधार वर्ष 2015-16 की तुलना में पीओआई के दौरान जबरदस्त गिरावट आई है। तथापि, घरेलू उद्योग और उसके समर्थकों के बाजार हिस्से में पीओआई के दौरान वृद्धि हुई है।
68. घरेलू उद्योग की क्षमता में क्षति अवधि और जाँच अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष में वृद्धि हुई है। क्षमता 2015-16 में 100 से बढ़कर पीओआई के दौरान 208 हो गई है। तदनुसार, उत्पादन में भी 2015-16 के दौरान 100 से जाँच अवधि के दौरान 207 तक की तीव्र वृद्धि हुई है। अतः क्षति यदि कोई हो, तो अनावश्यक/ अनुचित क्षमता वृद्धि के कारण हुई है।
69. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्राओं में घरेलू बाजार और निर्यातों की दृष्टि से जबरदस्त वृद्धि हुई है। पीओआई के दौरान घरेलू बिक्री में 129 प्रतिशत और निर्यात बिक्री में 136 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
70. आबद्ध खपत में भी 2015-16 के दौरान 100 की तुलना में पीओआई के दौरान 211 तक की पर्याप्त वृद्धि हुई है।
71. प्रति इकाई बिक्री प्राप्ति 2015-16 में 100 से बढ़कर पीओआई के दौरान 107 हो गई है।
72. वर्ष 2015-16 में औसत स्टॉक 100 था और पीओआई के दौरान यह बढ़कर 110 हो गया, परंतु डी आई को हुई क्षति के निर्धारण के प्रयोजनार्थ इस पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता है। घरेलू उद्योग की क्षमता घरेलू और निर्यात बिक्रियों के साथ-साथ बढ़ रही है, इसलिए स्टॉक को मालसूची के रूप में नहीं रखा जा सकता है। घरेलू उद्योग की क्षमता में 108 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि मालसूची में केवल 10 प्रतिशत की नाममात्र की वृद्धि दर्शायी गई है। इसलिए, संबद्ध वस्तु के आयात घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं।
73. पीबीआईटी -घरेलू बिक्रियां 2015-16 में 100 से बढ़कर पीओआई के दौरान 119 हो गई हैं। नकद लाभ भी 2015-16 में 100 से बढ़कर पीओआई के दौरान 113 हो गए हैं।
74. यह स्पष्ट नहीं है कि नकद लाभ और ब्याज तथा कर पूर्व लाभ में 2017-18 में भारी वृद्धि हुई है और यद्यपि, पीओआई 15 महीने की है तथापि, पीओआई के दौरान प्रतिगामी गिरावट आई है।
75. घरेलू उद्योग का समग्र कार्य निष्पादन काफी अधिक भर गया है। ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ अन्य कारक हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं।
76. कर्मचारियों की संख्या में 2015-16 में 100 से बढ़कर पीओआई के दौरान 130 की पर्याप्त वृद्धि हुई है। प्रति दिन उत्पादकता आधार वर्ष के दौरान 100 से बढ़कर पीओआई के दौरान 127 हो गई है। इस प्रकार चीन जन. गण. से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
77. यह स्पष्ट नहीं है कि कर्मचारियों की संख्या में 2017-18 में 207 से पीओआई के दौरान 130 की गिरावट कैसे आ सकती है।
78. नियोजित पूंजी पर आय सकारात्मक रही है। इस प्रकार, आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।
79. घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई कथित रूप से कोई क्षति संबद्ध देश से आयातों के इतर कारकों की वजह से हुई है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

80. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों तथा प्रति-तर्कों को नोट किया है। इस प्रकार प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान दिया गया है।
81. नियमावली के अनुबंध-11 के साथ पठित उसके नियम-11 में यह उपबंध है कि किसी क्षति निर्धारण में "... पाठित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जाँच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो।

82. नियमावली के नियम 23 में यह उपबंध है कि नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 तथा 20 के उपबंध समीक्षा के मामले में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। यदि घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन यह दर्शाता है कि उसे वर्तमान क्षति अवधि के दौरान कोई क्षति नहीं हुई है तो प्राधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि क्या वर्तमान शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
83. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए प्राधिकारी संबद्ध देश से आयात के कारण पाटन और क्षति के संभावना संबंधी पहलुओं की जाँच करने से पहले घरेलू उद्योग को हुई वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जाँच करने की कार्रवाई करते हैं। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने में इस बात की जाँच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में अत्यधिक कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी अधिक स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों पर नियमावली के अनुबंध-11 के अनुसार विचार किया गया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और निर्यातकों/आयातकों/व्यापारियों/प्रयोक्ताओं के घरेलू उद्योग को क्षति संबंधी विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा नीचे दिए गए क्षति विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का वस्तुतः समाधान किया गया है।

च.3.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

i. मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

84. प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ भारत में संबंधित उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों से कुल योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है। जैसा कि तालिका से स्पष्ट है पीयूसी के लिए मांग पूरी क्षति अवधि के दौरान काफी अधिक बढ़ती रही है और आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान यह लगभग दुगुनी हो गई है।

मांग	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई	पीओआई (ए)
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***	***
निर्यातक	मी.ट.	***	***	***	***	***
अन्य उत्पादकों की बिक्री	मी.ट.	2,740	3,290	3,880	5,813	4,650
संबद्ध देश	मी.ट.	841	1,159	772	1,014	811
अन्य आयातक	मी.ट.	325	907	1,244	530	424
मांग/खपत	मी.ट.	7,294	8,364	11,169	15,473	12,378

ii. पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर मात्रात्मक प्रभाव

आयात मात्रा और हिस्सा

85. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से लिए गए सौदावार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा और क्षति जाँच अवधि के दौरान पाटित आयातों का हिस्सा निम्नानुसार है :-

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई	पीओआई (ए)
समग्र रूप से आयात						
चीन जन.गण.	मी.ट.	841	1,159	772	1,014	811
अन्य देश	मी.ट.	325	907	1,244	530	424

कुल आयात	मी.ट.	1,167	2,065	2,015	1,544	1,235
मांग/खपत	मी.ट.	7,294	8,364	11,169	15,473	12,378
उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***	***
निम्नलिखित की दृष्टि से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात						
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***	***
मांग/खपत	%	12%	14%	7%	7%	7%

86. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से पीयूसी के आयात क्षति अवधि के दौरान समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से मामूली रूप से कम हुए हैं। तथापि, आयात अब भी समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत दोनों की दृष्टि से काफी अधिक बने हुए हैं। यह नोट किया जाता है कि अन्य देशों से आयात भी 2017-18 तक बढ़े थे, पीओआई के दौरान पहले इनमें गिरावट आई थी। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तु में वृद्धि अधिकांशतः कंबोडिया से हुई है जो मुख्यतः चीन के मूल की वस्तुएं हैं क्योंकि इस उत्पाद के लिए कंबोडिया के लिए कोई उत्पादन सुविधा नहीं है। चूंकि घरेलू उद्योग ने इस दावे को आगे सत्य सिद्ध नहीं किया है, न ही उन्होंने परिवंचनारोधी उपबंधों के अंतर्गत कोई याचिका दायर नहीं की है, इसलिए उन्हें वर्तमान प्रयोजनार्थ असंगम माना गया है।

च.3.2 पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर कीमत प्रभाव

87. नियमावली के अनुबंध-11 (11) के अनुसार प्राधिकारी के लिए कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, की दृष्टि से घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करना अपेक्षित है।

क. कीमत कटौती

88. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में अत्यधिक कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी अधिक स्तर तक बढ़ गई होती। इस संबंध में उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत, सभी छूटों और करों का निवल के बीच व्यापार के समान स्तर पर तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतें कारखाना द्वार स्तर पर निर्धारित की गई हैं।
89. कीमत कटौती का आकलन आयात की पहुंच कीमत की पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु की भारत में घरेलू बिक्री कीमत के साथ तुलना करके किया गया है।

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई (₹)
आयातों की पहुंच कीमत	₹./मी.ट.	58,905	62,882	67,910	58,480
निवल बिक्री कीमत	₹./मी.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती	₹./मी.ट.	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
	रेंज	0-20	(20)-0	(20)-0	0-20

90. यह देखा जाता है कि 2016-17 और 2017-18 को छोड़कर आयातों की पहुंच कीमत बिक्री कीमत से कम स्तर पर रही है। पीओआई में कीमत कटौती में आधार वर्ष की तुलना में भारी वृद्धि हुई है।

ख. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

91. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों का प्रभाव कीमतों में अत्यधिक ह्रास करना या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना रहा है जो अन्यथा बढ़ गई होती, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना की तुलना वांछित प्रभाव को देखने के लिए पहुंच मूल्य के साथ की गई है। इसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई (ए)
बिक्री की लागत	रू./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	94.71	100.19	107.65
बिक्री कीमत	रू./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	102.61	111.16	106.10
संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत	रू./मी.ट.	58,905	62,882	67,910	58,480
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	106.75	115.29	99.28

92. उपरोक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से आयातों का पहुंच मूल्य पीओआई में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रहा था। वास्तव में 2016-17 और 2017-18 को छोड़कर संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम रहा था। परिणामस्वरूप संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग ऐसी बिक्री कीमत प्राप्त नहीं कर सका था जो उसकी पूरी लागत की वसूली कर सकती तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन दिला सकती थी। यह भी नोट किया जाता है कि आधार वर्ष से जाँच करने कीमत ह्रासकारी प्रभाव स्पष्ट नहीं है। तथापि, घरेलू उद्योग की कीमतें 2017-18 की तुलना में पीओआई में कम रही हैं और ऐसी संभावना है कि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग पर कीमत प्रभाव प्रतिकूल रहेगा।

93. यद्यपि, संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत और बिक्री लागत में आधार वर्ष से वृद्धि हुई है, तथापि, संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत में संबद्ध वस्तु की बिक्री लागत के अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। कीमत न्यूनकारी प्रभाव 2017-18 के बाद से और अधिक प्रदर्शित हुआ है जब बिक्री कीमत में 5 प्रतिशत की कमी आई जबकि बिक्री लागत में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

ग. कम कीमत पर बिक्री

94. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा की गई कम कीमत पर बिक्री की भी जाँच की है। इस प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के लिए औसत एनआईपी पर आधारित एनआईपी की तुलना डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों से यथाप्राप्त आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।
95. यह नोट किया जाता है कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से काफी कम रही थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग को कम कीमत पर बिक्री करनी पड़ी है।

कम कीमत पर बिक्री	अम.डॉ./मी.ट.
क्षति रहित कीमत (अम.डॉ./मी.ट.)	***
पहुंच मूल्य (अम.डॉ./मी.ट.)	826.77
कम कीमत पर बिक्री मार्जिन (अम.डॉ./मी.ट.)	***
कम कीमत पर बिक्री %	***
कम कीमत पर बिक्री % (रेंज)	0-20

च.3.3 घरेलू उद्योग के संबंध में आर्थिक मापदंड

96. नियमावली के अनुबंध-11 में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन कथित आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जाँच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।
97. घरेलू उद्योग से संबंधित क्षति संबंधी विभिन्न मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है:
- क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग तथा बिक्री मात्रा**
98. उत्पाद, घरेलू बिक्रिया, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन निम्नानुसार है :-

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई	पीओआई (ए)
क्षमता	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	150	208	208
कुल उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	144	207	207
कुल क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	86	96	99	99
घरेलू बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	160	222	178

99. प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं :

- घरेलू उद्योग द्वारा स्थापित, क्षमता, घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन और उसकी घरेलू बिक्रियों में पीओआई समेत संपूर्ण क्षति अवधि में वृद्धि हुई है।
- क्षमता उपयोग में आधार वर्ष की तुलना में 2016-17 में तिगरावट आई और उसके बाद 2017 पीओआई में वृद्धि हुई है।

ख. मांग में बाजार हिस्सा

100. कथित पाटित आयातों और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से की निम्नानुसार जाँच की गई है:

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई (ए)
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	90.05	104.47	104.83
सहयोगी	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	63.97	98.67	121.64
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	104.71	92.48	100.00

संबद्ध देश	%	11.53%	13.85%	6.91%	6.56%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	120.14	59.90	56.84
अन्य आयात	%	4.46%	10.84%	11.14%	3.43%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	242.93	249.60	76.77
कुल	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

101. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2015-16 की तुलना में 2016-17 के दौरान गिरावट आई है। तत्पश्चात घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा पीओआई सहित में बढ़ता रहा है। इस प्रकार, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में मामूली वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात के बाजार हिस्से में 2015-16 की तुलना में 2016-17 में वृद्धि हुई है और उसके बाद गिरावट आई।

ग. लाभ अथवा हानि, नकद लाभ तथा निवेश पर आय

102. लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन निम्नानुसार रहा है :

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई (ए)
बिक्री की लागत	₹/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94.71	100.19	107.65
बिक्री कीमत	₹/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102.61	111.16	106.10
कर पूर्व लाभ	₹/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(-)100	943.92	1,304.40	(192.26)
कर-घरेलू बिक्री पूर्व कुल लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(-)100	971.41	2,026.16	(419.84)
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	1,158.45	2,214.94	(297.53)
औसत नियोजित पूंजी	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108.42	144.24	118.76
नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई)	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	1,205.12	1,854.88	(302.33)

103. यह नोट किया जाता है कि लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ में आधार वर्ष से 2017-18 तक वृद्धि हुई है। तथापि, पीओआई में सभी तीन मापदंडों में भारी गिरावट आई और ये ऋणात्मक हो गए।

घ. मालसूची

104. संबद्ध वस्तु की मालसूची के आंकड़े 2015-16 की तुलना में 2016-17 में वृद्धि दर्शाते हैं। तत्पश्चात गिरावट हुई है। घरेलू उद्योग से औसत मालसूची स्तरों में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई (ए)
आरंभिक स्टॉक	मी.ट.	***	***	***	***
अंतिम स्टॉक	मी.ट.	***	***	***	***
औसत मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***
औसत मालसूची	सूचीबद्ध	100	167	165	110

ड. रोजगार तथा उत्पादकता

105. रोजगार और मजदूरी के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई (ए)
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	170	207	215
उत्पादकता/कर्मचारी	मी.ट	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	58	70	78
उत्पादकता/दिवस	मी.ट./दिवस	6.57	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.0	100.4	143.8	165.7

106. कर्मचारियों की संख्या में जाँच अवधि समेत संपूर्ण क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। प्रति कर्मचारी उत्पादकता में 2015-16 से 2016-17 तक गिरावट आई है और तत्पश्चात इसमें वृद्धि होती रही है, जबकि प्रतिदिवस उत्पादकता में पीओआई सहित संपूर्ण क्षति अवधि में वृद्धि हुई है।

च. पाटन मार्जिन की मात्रा

107. पाटन की मात्रा इस बात का संकेतक है कि भारत में आयातों का किस सीमा तक पाटन हुआ है और उनके द्वारा परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को कितनी क्षति पहुंचाने की संभावना है। जाँच से यह पता चला है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक है और वर्तमान जाँच अवधि में काफी अधिक है। पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद पाटन जारी है।

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

108. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में पर्याप्त रूप से विकृति आई है और विचाराधीन उत्पाद के निरंतर पाटन से पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है।

ज. वृद्धि

109. निम्नांकित तालिका से पता चलता है कि घरेलू उद्योग में जाँच अवधि के दौरान उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग और बिक्री लागत की दृष्टि से सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है और बिक्री कीमत और लाभप्रदता में गिरावट दर्ज हुई है।

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	पीओआई (ए)
कुल उत्पादन	%	0.4	43.3	15
घरेलू बिक्री	%	3.3	54.9	11.2
कुल क्षमता उपयोग	%	-14.9	12.3	3.1
बिक्री की लागत	%	-5.3	5.8	7.5
बिक्री कीमत	%	2.6	8.3	-4.5
लाभ/हानि	%	-943.9	42.7	-124.3

झ. घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक

110. संबद्ध देश से आयात कीमतों, लागत संरचना में बदलाव, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों से इतर ऐसे कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हों, की जाँच से पता चलता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षतिरहित कीमत से कम है जिससे भारतीय बाजार में कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री हो रही है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्यतः

विचाराधीन उत्पाद की कीमतें प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमतों के तालमेल में रहती हैं और घरेलू उद्योग इन निविष्टि की कीमतों और आयातों की पहुंच कीमत पर विचार करते हुए अपनी कीमतें निर्धारित करता रहा है। इस प्रकार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य घरेलू कीमतों के निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक रहा है।

च.3.4 कारणात्मक संबंध और गैर जिम्मेदारी विश्लेषण

111. नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों से इतर ऐसे अन्य ज्ञात कारकों की जाँच करना अपेक्षित है जो उसी समय पर घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हों ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सके। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य के साथ-साथ पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमत मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में बदलाव, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन तथा उत्पादकता शामिल हैं। नीचे इस बात की जाँच की गई है कि क्या पाटित आयातों से इतर कारकों क घरेलू उद्योग को हुई क्षति में भूमिका हो सकती है:

- क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत : भारत में कुल आयातों के हिस्से के रूप में अन्य देशों से आयातों की मात्रा में यद्यपि, वृद्धि हुई है, तथापि, वह पीओआई में उच्चतर कीमतों पर हुए हैं।
- ख. मांग में परिवर्तन : पूरी क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में निरंतर वृद्धि होती रही है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को हुई क्षति मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन के कारण नहीं हुई है।
- ग. प्रौद्योगिकी में विकास : संबंधित उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी में विकास को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है।
- घ. प्रतिस्पर्धा की दशाएं और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं : ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है, जिसकी घरेलू उद्योग को हुई क्षति में कोई भूमिका हो सकती हो।
- ड. घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन : आवेदन ने पीयूसी का निर्यात किया है। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में निर्यातों की दृष्टि से कोई विकृति नहीं आई है। तथापि, यहां निर्यात कार्य निष्पादन संगत नहीं है क्योंकि प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग के केवल घरेलू कार्य निष्पादन पर विचार किया है।
- च. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन : घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों के कार्य निष्पादन ने प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन के आकलन को प्रभावित नहीं किया है। प्राधिकारी द्वारा विचार की गई सूचना केवल घरेलू समान उत्पाद से संबंधित है।

च.3.5 क्षति मार्जिन

112. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एक क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पादन की एनआईपी का निर्धारण जाँच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना पर विचार किया गया है। एनआईपी निर्धारित करने के लिए क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री का सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। सुविधाओं के संबंध में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। पीओआई में उत्पादन को सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर विचार करते हुए परिकलित किया गया है और प्रति इकाई स्थिर लागत के लिए उसी उत्पादन पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत पर कोई असाधारण या अनावर्ती व्यय प्रभारित न किए जाएं। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्ति जमा औसत कार्यशील पूंजी) पर तर्कसंगत आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) की अनुमति दी गई है ताकि नियमावली के अनुबंध-III में यथाविहित एनआईपी को कर पूर्व लाभ के साथ ज्ञात किया जा सके और इसका पालन किया गया है।

113. चीन जन.गण. से सभी असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत निर्धारित की है।
114. ऊपर यथानिर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर प्राधिकारी द्वारा चीन जन.गण. से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है और उसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

देश	उत्पादक	क्षति रहित कीमत (अम.डॉ./मी.ट.)	पहुंच मूल्य (अम.डॉ./मी.ट.)	क्षति मार्जिन (अम.डॉ./मी.ट.)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज)
चीन जन.गण.	जियांगसु गुओजिन यूनियन एनर्जी कं. लि.	***	***	***	***	0-20
	अन्य उत्पादक तथा निर्यातक	***	***	***	***	20-40

115. यह नोट किया जाता है कि क्षति मार्जिन सकारात्मक है और पीओआई के लिए संबद्ध देश से सहयोगी उत्पादक और निर्यातक के लिए काफी अधिक है।

क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में प्राधिकारी के निष्कर्ष

116. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद भी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात निरंतर काफी अधिक बने हुए हैं। उत्पाद के आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। इसके अलावा, यद्यपि, क्षति अवधि के दौरान उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। तथापि, बिक्री कीमत में वृद्धि उत्पादन लागत में वृद्धि से कम रही है, जबकि संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत 2016-17 और 2017-18 को छोड़कर बिक्री कीमत और बिक्री लागत से निरंतर कम रही है। इस प्रकार, आयात 2017-18 से घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं और ऐसी कीमत वृद्धि को रोक रहे हैं जो पाटित आयातों की अनुपस्थिति में अन्यथा बढ़ गई होती।
117. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के कारण क्षति उठानी पड़ी है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है। यह भी नोट किया जाता है कि नियोजित पूंजी पर आय, लाभ और नकद लाभ पीओआई में ऋणात्मक हो गए हैं। इस प्रकार, अधिकांश मापदंडों जैसे लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में वृद्धि से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव प्रदर्शित होता है।
118. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन के विश्लेषण से पता चलता है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में विकृति आई है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच निम्नलिखित आधारों पर कारणात्मक संबंध सिद्ध होता है :-
- पाटित आयातों के कारण हुई कीमत कटौती से घरेलू उद्योग की कीमतों में वृद्धि नहीं हो पाई है जो अन्यथा हुई होती।
 - संबद्ध देश से पाटित आयातों के कीमत न्यूनकारी प्रभावों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता का ह्रास हुआ है।
 - घरेलू उद्योग देश में भारी मांग और क्षमताओं की मौजूदगी के बावजूद अपने उत्पादन, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से में वृद्धि करने में असमर्थ रहा।
 - लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ में विकृति पाटित आयातों के परिणामस्वरूप हुई है।
 - घरेलू उद्योग की वृद्धि अनेक आर्थिक मानदंडों जैसे लाभप्रदता, नकद लाभ और आरओसीई की दृष्टि से नकारात्मक हो गई है।

च.36 पाटन और क्षति के जारी रहने और उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

119. प्राधिकारी समुक्ति करते हैं कि यह एक एसएसआर जाँच है और इस जाँच का फोकस पाटनरोधी शुल्क की अवधि समाप्त होने की स्थिति में वर्तमान क्षति की गैर-मौजूदगी में भी पाटन और परिणामी क्षति के जारी रहने के संभावित परिदृश्य की जाँच करना है।

घरेलू उद्योग के विचार

120. घरेलू उद्योग ने पाटन और क्षति के जारी रहने और उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- i. एडीडी के लागू होने के बाद आयातों में गिरावट और ऐसे आयातों में सकारात्मक पाटन मार्जिन एडीडी को वापस लेने की स्थिति में पाटन की संभावना को दर्शाता है और एडीडी का समय बढ़ाने को न्यायोचित ठहराता है।
- ii. विश्व भर में जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली संगत नीति यह है कि आयातों में गिरावट या कम आयातों के मामले में इस बात की जाँच करना आवश्यक है कि क्या शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना है।
- iii. यद्यपि, एडीडी के लागू होने के बाद संबद्ध आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, परंतु आयात पाटित और क्षतिकारी कीमत पर आ रहे हैं। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। इस प्रकार एडीडी के समाप्त होने से पाटन में तेजी आने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की आशंका है।
- iv. चीन से सोडियम साइट्रेट के आयातों को शामिल करने वाले पाटनरोधी शुल्क ब्राजील, कोलंबिया, ई यू, रूस, थाइलैंड और यूएसए में लागू हैं।
- v. चीन में उत्पादकों और निर्यातकों के पास अत्यधिक उत्पादन क्षमताएं मौजूद हैं। वर्तमान एडीडी को हटाए जाने पर चीन से पाटन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी और अंततः घरेलू उद्योग को और अधिक मात्रा और कीमत संबंधी क्षति होगी। 2012 में चीन में उत्पादकों के पास 192,000 मी.ट. की अनुमानित अतिरिक्त क्षमता थी, जबकि पीओआई में भारत में संपूर्ण घरेलू मांग लगभग 7200 एमटी थी। यदि यह मान भी लिया जाता है कि 2012 से क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई हो और उसी मात्रा में अतिरिक्त क्षमता पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकलेगा कि अतिरिक्त क्षमता स्वयं ही कुल भारतीय मांग का 26 गुना है।
- vi. चूंकि निर्यातकों के पास भारी अधिशेष और अप्रयुक्त क्षमताएं मौजूद हैं, इसलिए निर्यातकों को भारतीय बाजार आकर्षक लगेगा। भारतीय बाजार अत्यधिक कीमत संवेदनशील है, उपभोक्ता कीमत को सर्वाधिक महत्व देते हुए खरीद संबंधी निर्णय लेते हैं। वर्तमान एडीडी के समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को या तो एडीडी की राशि के बराबर अपनी बिक्री कीमत में कटौती करनी होगी या घरेलू उद्योग अपनी बिक्री मात्राएं गंवा देगा।
- vii. एडीडी के बिना कीमत कटौती जाँच अवधि में उच्च स्तर पर रही है। इस प्रकार यदि वर्तमान में लागू एडीडी को समाप्त होने दिया जाता है, तो पाटित आयातों के कारण भारी कीमत कटौती होगी, जिससे बिक्री की कम मात्रा, कम बिक्री कीमत और घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट के रूप में वास्तविक क्षति होगी।
- viii. वर्तमान एडीडी के समाप्त होने की स्थिति में और यदि घरेलू उद्योग को आयात कीमतों पर बेचने को बाध्य किया जाता है, तो घरेलू उद्योग की लाभप्रदता काफी अधिक ऋणात्मक हो जाएगी और उसे भारी घाटे होंगे।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

121. पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के संबंध में सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के अनुरोधों का सारांश निम्नानुसार है :-

- i. घरेलू उद्योग का यह अनुरोध कि संबद्ध देश में काफी अधिक उत्पादन क्षमता है और वह निर्यातोन्मुख है, निराधार और बिना साक्ष्य के है। प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार मै. जियांगशु गुओक्सिन लगभग 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहा है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा उसके लिखित अनुरोध में 5 वर्ष पहले अर्थात् 2015 में संगत उद्धरण दिए गए हैं जबकि वर्तमान जाँच के लिए पीओआई अप्रैल, 2018 से जून, 2019 तक है। लिखित अनुरोध में प्रस्तुत जाँच परिणामों के उद्धरण अक्टूबर, 2012 से सितंबर, 2013 (ईयू जाँच परिणाम) की पीओआई पर आधारित थे और मई, 2013 से अप्रैल 2014 (यू एस जाँच परिणाम) की पीओआई पर आधारित थे। जाँच अवधियों के बीच लगभग 5 से 6 वर्ष का अंतर है और इतनी लंबी अवधि के दौरान चीन में उत्पादन क्षमता की स्थिति काफी अधिक बदल गई है। इसके अलावा, ई.सी. द्वारा जाँच की गई उत्पादन क्षमता में सोडियम साइट्रेट और साइट्रिक एसिड दोनों शामिल हैं। यूएसए द्वारा जाँच की गई उत्पादन क्षमता में सोडियम साइट्रेट, साइट्रिक एसिड और पोटेशियम साइट्रेट शामिल हैं। इसका अर्थ यह है कि यूएसए और ईसी द्वारा जाँच की गई उत्पादन क्षमता में पीयूसी और अन्य उत्पाद शामिल हैं। इस प्रकार यूएस जाँच परिणाम और ईसी जाँच परिणाम के आंकड़े और विश्लेषण वर्तमान एस एस आर जाँच के लिए संगत नहीं हैं।
- ii. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि यदि वर्तमान एडीडी को समाप्त किया जाता है तो इसके परिणामस्वरूप चीन जन.गण. से निर्यात की बाढ़ आ जाएगी और वह उच्चतर पाटन स्तरों पर होने की संभावना है और ऐसे कृत्यों से पाटन और क्षति के जारी रहने और उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के ये दावे चीन के वाणिज्यिक व्यवहार के बारे में अतर्कसंगत अनुमान पर आधारित हैं और कतिपय विशिष्ट व्यापार कारकों का संदर्भ दिया गया है जिनमें तीसरे देशों के बाजारों को बिक्री का चीन का रूझान उल्लेखनीय है। उत्पादक/निर्यातक तीसरे देशों को संबद्ध वस्तु का निर्यात भारत में बराबर या उससे उच्चतर कीमत पर कर रहे हैं। चीन के उत्पादकों ने भारतीय बाजार से बाहर निर्यात बाजारों की एक व्यापक श्रृंखला विकसित की है और पीयूसी की आपूर्ति और मांग संतुलित है और प्रत्येक बाजार में स्थिर रहती है। मै. जियांगसु गुओजिन यूनियन एनर्जी कं. लि. का प्रश्नावली का उत्तर दर्शाता है कि पीओआई के दौरान पीयूसी को भारत से बाहर 65 अन्य देशों को निर्यात किया गया था। इस प्रकार भारत को निर्यातों को भेजे जाने की कोई संभावना नहीं है। वास्तव में निर्यातक भारत से निर्यातों को तीसरे देशों में सिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि उन्हें उच्चतर कीमतें मिल रही हैं।

पाटन और क्षति के जारी रहने और उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में प्राधिकारी द्वारा जाँच

122. यह निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी की जानकारी में लाए गए सभी कारकों की जाँच की गई है कि क्या शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन या क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। प्राधिकारी ने पाटन या क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के मूल्यांकन के लिए घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सूचना पर विचार किया है।
123. वर्तमान जाँच चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पहले से लागू एडीडी की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या एडीडी को लागू रखना आवश्यक है। इसमें इस बात पर भी विचार करना अपेक्षित है कि क्या लागू किया गया शुल्क पाटन की क्षति को समाप्त करने के आशयित प्रयोजन को पूरा कर रहा है। ऐसे संभावना विश्लेषण को करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध-11 का खंड (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारकों के बारे में बताया गया है जिन पर विचार किया जाना अपेक्षित है अर्थात् :-
 - i. भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की काफी अधिक दर जो अत्यधिक बढ़े हुए आयातों की संभावना को दर्शाती हो;

- ii. निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य या आसन्न, भारी वृद्धि जो किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजारों को पर्याप्त रूप से बढ़े हुए पाटित आयातों की आशंका को दर्शाती है;
- iii. क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनसे घरेलू कीमतों पर भारी ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और उनसे आगे अधिक आयातों के लिए मांग बढ़ने की संभावना है; और
- iv. जाँच की जा रही वस्तु की मालसूचियां

i. निरंतर पाटन

124. एडीडी के लागू होने के बावजूद चीन जन.गण. से लगातार पाटित आयात जारी हैं। इस प्रकार, एडीडी की समाप्ति की स्थिति में पाटन के जारी रहने की संभावना है।
125. यह देखा जाता है कि संबद्ध वस्तु रूस, थाइलैंड, यूरोप, यूएसए, ब्राजील और कोलंबिया द्वारा पाटनरोधी शुल्क के अधीन है। यह भी नोट किया जाता है कि इनमें से कुछ उपायों को निर्णायक समीक्षा जांचों के बाद बढ़ाया गया है।

ii. अधिशेष क्षमता

126. निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य या आसन्न, भारी वृद्धि जो किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजारों को पर्याप्त रूप से बढ़े हुए पाटित आयातों की आशंका को दर्शाती है। वास्तविक क्षति के खतरे को पता लगाने के लिए इस मापदंड में मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताओं और क्षमता वृद्धि, यदि कोई हो, का मूल्यांकन अपेक्षित है ताकि भारतीय बाजार में निपटान योग्य मात्रा के विपथन की संभावना का पता लगाया जा सके। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध देशों के उत्पादक पहले से ही भारी अधिशेष क्षमताओं का सामना कर रहे हैं और यह कि ये उत्पादक अनेक देशों को उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के संबंध में कीमतों से कम कीमत पर निर्यात किया जा रहा है। इस प्रकार, इससे पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में भारत को इन निर्यातों के विपथन की संभावना का पता चलता है।
127. घरेलू उद्योग ने चीन से संबद्ध वस्तु के संबंध में ईसी और यूएस की समीक्षा के जाँच परिणामों का चीन में उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमता के साक्ष्य के रूप में संदर्भ दिया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, 2012 में चीन में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों के पास 192000 एम.टी. की अतिरिक्त क्षमता होने का अनुमान था, जबकि पीओआई के दौरान भारत में संपूर्ण घरेलू मांग केवल लगभग 15,000 एम.टी. है। प्राधिकारी के पास संबद्ध देश की अधिदेश क्षमता के संबंध में न तो कोई हाल की सूचना उपलब्ध है और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार ने उस उपलब्ध कराया है।

iii. उपायों के अनुपस्थिति में कीमत कटौती और एक बाजार के रूप में भारत का आकर्षक होना

128. यह नोट किया जाता है कि पीओआई के दौरान कीमत कटौती सकारात्मक है और इसलिए वर्तमान में लागू एडीडी को हटाने से और अधिक पाटन होने की संभावना है जिससे घरेलू उद्योग को बिक्रियों की कम मात्रा, कम बिक्री कीमत और लाभों में गिरावट के रूप में क्षति होने की आशंका है।
129. प्राधिकारी के लिए यह सिद्ध करना अपेक्षित है कि घरेलू बाजार अर्थात् भारत में प्रचलित कीमत निर्यातक के लिए इतनी आकर्षक है कि वह तीसरे देशों को निर्यातित मात्राएं भारत को भेज देगा। यह नोट किया जाता है कि आयातों का पहुंच मूल्य पीओआई में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री कीमत से कम है। प्राधिकारी ने संबद्ध देश से तीसरे देश को निर्यातों की कीमत की भी जाँच की है और यह पाया गया है कि संबद्ध देश से निर्यातक अनेक देशों को ऐसी कीमत पर पीयूसी का निर्यात कर रहे हैं जो भारतीय कीमत से कम है, इस प्रकार भारतीय बाजार की कीमतें आकर्षक होना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। आई टी सी ट्रेड मैप से आंकड़े 6 अंकीय स्तर पर उपलब्ध हैं और उनसे पता चलता है कि 291815 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की भारी मात्रा संबद्ध देश से ऐसी दर पर निर्यातित की गई है जो 2018 में भारत को निर्यातित कीमत से कम है। यह भी नोट किया

जाता है कि तीसरे देशों को चीन जन.गण. से सहयोगी उत्पादक और निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों का काफी अधिक हिस्सा उस कीमत से कम कीमत पर निर्यात किया जा रहा है जिस पर भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया जाता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में संबद्ध देश के निर्यातकों भारत को उत्पाद का निर्यात पाटित कीमतों पर निर्यात किए जाने की संभावना है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

iv. जाँच की जा रही वस्तुओं की मालसूचियां

130. चीन से सहयोगी उत्पादक/निर्यातक की मालसूची 2016 से बढ़ रही है जो 2017 की तुलना में 2018 में 9 गुना बढ़ गई है।

प्रकटन के पश्चात की टिप्पणियां

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

131. आवेदक ने एडीडी को जारी रखने की आवश्यकता के संबंध में अपने अनुरोधों को दोहराया है। इसके अलावा, आवेदक ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- क. आवेदक ने एक सार्थक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित तथ्यों के प्रकटन का अनुरोध किया है :
- i. प्राधिकारी द्वारा भेज गए पत्रों की एक प्रति और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों के अगोपनीय अंश की प्रति
 - ii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के अगोपनीय अंश की एक प्रति।
 - iii. खंडन संबंधी अनुरोधों के अगोपनीय अंश की एक प्रति
 - iv. चूंकि यह पद्धति घरेलू उद्योग के आंकड़ों पर आधारित है, इसलिए आवेदक को इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य के अगोपनीय अंश का प्रकटन किया जा सकता है।
 - v. प्राधिकारी से इस बात का प्रकटन करने का अनुरोध किया गया है कि कौन से सौदों पर गैर-प्रतिवादी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित करने हेतु विचार किया गया है और उसका प्रकटन करने का अनुरोध किया गया है।
- ख. प्रकटन विवरण में प्राधिकारी ने नोट किया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत में निरंतर वृद्धि हुई है, इसलिए घरेलू उद्योग के लिए कोई कीमत न्यूनीकरण नहीं हुआ है। यह अनुरोध किया जाता है कि यह अवलोकन त्रुटिपूर्ण है। बिक्री कीमत में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जब लागत में वृद्धि हुई है, तब पीओआई में गिरावट आई है।
- ग. आवेदक ने दोहराया है कि एस एस आर के संदर्भ में जिसमें समय बढ़ाने का दावा क्षति की पुनरावृत्ति पर आधारित होता है, प्राधिकारी एडीडी की समाप्ति की स्थिति में कीमत ह्रास/न्यूनीकरण की संभावना की जाँच कर सकते हैं।
- घ. जब लाभ और आर ओ आई में सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई थी, तब भी पीओआई में इनमें गिरावट आई थी और ये ईष्टतम/वांछित स्तरों से कम पर थीं, जिससे घरेलू उद्योग की कमजोर स्थिति का पता चलता है।
- ड. आवेदक ने अनुरोध किया है कि शुल्कों की वर्तमान राशि को वर्तमान मामले में बढ़ाया जाना चाहिए। डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 11.3 और नियम 23 (1ख) के साथ पठित धारा 9 क(5) के सुमेलीकृत पाठ से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राधिकारी के लिए अवधि को बढ़ाना भी अपेक्षित है और यह कि निर्णायक समीक्षा में शुल्कों को संशोधित नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि ऐसी स्थितियों में जहाँ पाटन मार्जिन और/या क्षति मार्जिन निर्णायक समीक्षा के स्तर पर ऋणात्मक पाया जाता है, वहाँ भी पाटन और क्षति की संभावना के आधारों पर एडीडी की उसी राशि को बढ़ाया गया है।
- च. आवेदक ने पीओआई के बाद की अवधि के लिए आयात संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए हैं और यह बताया है कि चूंकि आयात कीमतें इस तथ्य के बावजूद उसी राशि के आस-पास रही हैं कि लागत में परिवर्तन हुआ है, इसलिए एडीडी की मौजूदा राशि को जारी रखना आवश्यक है।

- छ. आवेदक ने अनुरोध किया है कि शुल्क को अमरीकी डॉलर के रूप में लगाया जाना चाहिए।
- ज. आवेदक ने अनुरोध किया है कि एडीडी को केवल एक स्थिर राशि के रूप में लगाया जा सकता है, यह बताया गया है कि उत्पाद पर वर्तमान में एडीडी की स्थिर राशि पहले से ही लागू है और यह कि पाटनरोधी विधान जिसे पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यू ओ करार के अनुक्रम में और अनुपालन में बनाया गया है, स्पष्ट रूप से प्राधिकारियों को अनुरोध के ढंग और तरीके से एडीडी लगाने की अनुमति देता है। इसके अलावा, आवेदक ने ऐसे मामलों का उल्लेख किया है जिनमें प्राधिकारी के आदेश को उपायों के गलत रूप के आधार पर सेस्टेट द्वारा संशोधित किया गया है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

132. सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

- क. जैसा कि खंडन संबंधी अनुरोध में पहले ही बताया गया है, रूस और थाइलैंड में पाटनरोधी जाँच के अधीन पीयूसी साइट्रिक एसिड था और न कि सोडियम साइट्रेट। सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने प्राधिकारी से इस तथ्य पर विचार करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, साइट्रिक एसिड से संबंधित यूरोशियन आर्थिक संघ द्वारा जारी पाटनरोधी उपायों को 9 अप्रैल, 2020 को समाप्त कर दिया गया था।
- ख. प्राधिकारी ने पीयूसी के लिए औसत नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत की आय की अनुमति दी है और उसे तर्कसंगत माना है। यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षतिरहित कीमत काल्पनिक है और तर्कसंगत नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

133. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रकटन के बाद की टिप्पणियाँ/अनुरोध अधिकांशतः दोहराव हैं और उनकी इन जाँच परिणामों के संगत पैराओं में पहले ही उचित ढंग से जाँच और पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अन्य प्रकटन के पश्चात की टिप्पणियाँ/अनुरोध, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा संगत समझा गया है, की नीचे जाँच की गई है।
134. आवेदक के इस अनुरोध के संदर्भ में कि प्राधिकारी द्वारा भेज गए पत्रों के अगोपनीय अंश और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों के अगोपनीय अंश की एक प्रति उपलब्ध कराई जाए, यह बताया जाता है कि डीजीटीआर की परिपाटी के अनुसार सभी अगोपनीय अंशों को कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से पहले सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराया गया था। तत्पश्चात पत्र के सभी अगोपनीय अंश जिनमें डीजीटीआर की परिपाटी के अनुसार सार्वजनिक फाइल में रखा जाता है, को ई-मेल के जरिए साझा किया गया है। इसके अलावा, गैर-प्रतिवादी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित करने हेतु प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सूचना पर विचार किया है।
135. पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में कीमत ह्रास की संभावना के संबंध में यह नोट किया जाता है कि इन जाँच परिणामों के संगत भाग में इसकी जांच की गई है। यह भी नोट किया जाता है कि आधार वर्ष से जाँच करने पर कीमत ह्रासकारी प्रभाव स्पष्ट नहीं है। तथापि, घरेलू उद्योग की कीमतें 2017-18 की तुलना में पी ओ आई में कम रही हैं और ऐसी संभावना है कि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग पर कीमत प्रभाव प्रतिकूल रहेगा।
136. संगत परिपाटी के अनुसार, प्राधिकारी ने पीयूसी के लिए नियोजित औसत पूंजी पर 22 प्रतिशत की आय की अनुमति दी है।
137. इस तर्क के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की मौजूदा राशि को जारी रखा जाना चाहिए। एस एस आर जाँच में एडीडी के स्तर विशेष पर मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सिफारिश करना प्राधिकारी की संगत प्रतिक्रिया रही है। प्राधिकारी ने दी गई दलीलों, प्रदत्त सूचना और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और ऊपर रिकॉर्ड में प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों और उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर मामले की जांच की है और नीचे दी गई तालिका के अनुसार संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर यथासंशोधित निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करना उचित समझते हैं।

पाटन और क्षति की संभावना पर निष्कर्ष

138. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य दर्शाते हैं कि यद्यपि संबद्ध देश से आयात में गिरावट आई है, तथापि, वह काफी अधिक बने हुए हैं। चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु का पाटन जारी है और संबद्ध वस्तु के आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं जिनसे घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनकारी प्रभाव पड़ रहा है और वे क्षतिरहित कीमत से कम पर हुए हैं। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि चीन में काफी अधिक क्षमताएं हैं और निर्यातक रूस, यूएसए, यूरोप, थाइलैंड, कोलंबो और ब्राजील में पाटनरोधी शुल्कों के अधीन हैं। व्यापार प्रतिबंधों के साथ-साथ ऐसी अधिशेष क्षमताएं वर्तमान शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में पाटित कीमतों पर निर्यातों में वृद्धि कर सकती हैं। इसके अलावा, संबद्ध देश से तीसरे देशों को भारी मात्रा में ऐसी कीमतों पर निर्यात किए गए हैं जिस कीमत पर भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया जा रहा है और प्रतिवादी निर्यातकों की मालसूची का स्तर बढ़ रहा है। इस प्रकार, ये सभी मापदंड दर्शाते हैं कि ए डी डी की समाप्ति की स्थिति में संबद्ध देश में निर्यातक पाटित कीमतों पर भारत को पाटित उत्पाद के निर्यात को और तेज कर सकते हैं जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

छ. भारतीय उद्योग के हित

139. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्यतः पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतियोगिता की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लागू होने से संबद्ध देश/ क्षेत्र से आयात किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
140. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग करके निर्मित उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित कर सकती है तथा परिणामतः इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव डाल सकती है। तथापि, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं होगी विशेषकर यदि पाटनरोधी शुल्क उसी राशि तक सीमित हो जो घरेलू उद्योग की क्षति को पूरा कर सके। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय पाटन व्यवहार द्वारा अर्जित किए गए अनुचित लाभ समाप्त करेंगे, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में गिरावट का निवारण करेंगे और उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं के विस्तृत विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद करेंगे।

ज. निष्कर्ष

141. हितबद्ध पक्षों द्वारा दी गई दलीलों प्रदत्त सूचना और अनुरोधों तथा उपर्युक्त निष्कर्षों में रिकॉर्ड के अनुसार प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने के उक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि -

- क. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का लगातार पाटन हुआ है और आयातों के शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करने की संभावना है।
- ख. संबद्ध देश से पाटित आयात के कारण घरेलू उद्योग को लगातार क्षति उठानी पड़ी है।
- ग. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना इस स्तर पर लागू पाटनरोधी शुल्क को हटाये जाने की दशा में पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना को दर्शाती है।
- घ. यह दर्शाने के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि इस समय पाटनरोधी शुल्क को हटाने से पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी।

झ. सिफारिशें

142. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच की शुरुआत की गई और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया तथा घरेलू उद्योग, निर्यातक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं संबंधी सूचना देने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था।

143. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि यदि पाटनरोधी मौजूदा शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है तो पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के ऐसे सकारात्मक साक्ष्य हैं कि पाटन और क्षति होने की संभावना है, इसलिए प्राधिकारी का विचार है कि संबद्ध देश से पीयूसी के आयातों पर शुल्क को जारी रखना अपेक्षित है।
144. इन परिस्थितियों में निर्दिष्ट प्राधिकारी नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 के अनुसार संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर यथा संशोधित निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करना उचित समझते हैं।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वस्तुओं का विवरण*	उद्गम का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29181520	सोडियम साइट्रेट	चीन जन.गण.	चीन सहित कोई भी देश	जियांगसु गुओजिन यूनियन एनर्जी कं. लि.	96.05	मी.ट.	अम. डॉ.
2	-यथोक्त-	-यथोक्त-	चीन जन.गण.	चीन सहित कोई भी देश	क्र. सं. 1 में दिए गए से अतिरिक्त कोई अन्य उत्पादक	152.78	मी.ट.	अम. डॉ.
3	-यथोक्त-	-यथोक्त-	चीन जन.गण. के अलावा कोई भी देश	चीन जन.गण.	कोई भी	152.78	मी.ट.	अम. डॉ.

* नोट: उपर्युक्त शुल्क तालिका में वस्तुओं के विवरण में निम्नलिखित वैकल्पिक नाम भी शामिल हैं: - (क). ट्राई सोडियम साइट्रेट; (ख). ट्राई सोडियम साइट्रेट डिहाइड्रेड; (ग) सोडियम साइट्रेट डिहाइड्रेड; (घ). ट्राइबेसिक सोडियम साइट्रेट; (ङ.). सोडियम साइट्रेट ट्राइबेसिक डिहाइड्रेड; (च). सोडियम साइट्रेट डाइबेसिक सेसक्विहाइड्रेड; (छ). सोडियम साइट्रेट मोनोबेसिक बायोएस्ट्र।

145. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 8ख, 9 तथा 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी सीमा शुल्क शामिल होंगे।
146. इस अंतिम जाँच परिणाम संबंधी अधिसूचना के कारण केन्द्र सरकार के आदेश के खिलाफ कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलिय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 30th April, 2020

CASE NO. (SSR) 09/2019

Subject : Sunset Review Investigation concerning imports of “Sodium Citrate” from People’s Republic of China.

F.No.7/21/2019-DGTR.—

Background of the case

Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the “Rules”) thereof;

1. The Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) initiated anti-dumping investigation on imports of “Sodium Citrate” (hereinafter also referred as the “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”) vide notification No. 13/23/2013-DGAD dated 28th February, 2014. The Authority thereafter notified the Final Findings No. 14/23/2013-DGAD dated 26th February, 2015, recommending imposition of anti-dumping duties (ADD) against imports of the subject goods from China PR. Definitive ADD was imposed by Ministry of Finance vide Customs Notification No. 19/2015-Customs (ADD) dated 20th May, 2015 for five years and the same is in force till 19th May, 2020.
2. In terms of Section 9A (5) of the Act, the anti-dumping-duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
3. Before the expiry of the said duty, M/s. Posy Pharmachem Private Limited, constituting the Domestic Industry (hereinafter referred to as the “Applicant”) has filed a duly substantiated application before the Authority in accordance with the Act and the Rules, for initiation of Sunset Review investigation concerning imports of “Sodium Citrate” originating in or exported from China PR, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry in case of cessation of existing anti-dumping duties.
4. The Authority on the basis of the prima facie evidence initiated sunset review investigation through notification No. 7/21/2019-DGTR dated 25th October, 2019 to examine whether the expiry of the said duties on the import of the subject goods originating in or exported from China PR are likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
5. The scope of the present review covers all aspects of the final findings No. 14/23/2013-DGAD dated 26th February, 2015 concerning imports of the above goods, originating in or exported from the subject country.

A. PROCEDURE

6. The following procedure has been followed with regard to this investigation:
 - i. The Authority issued a notification dated 25th October, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject good from subject country.

- ii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Government of the subject country, through its Embassy, known producers/exporters from the subject country, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the Applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
- iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through its Embassy and known importers/users in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra. A copy of the non-confidential version of the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested.
- iv. The Authority also forwarded copy of the notice to known producers/exporters from the subject country, known importers/users in India, other Indian producers and the domestic industry as per the addresses made available by the Applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification. The Authority sent Exporter's Questionnaire to the following known producers/exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a) M/s. Qingdao Sonof Chemical Company Limited, Rm 1504, Jinhua Building 1, No.100, Nanjing Rd, Shandong, Qingdao, China;
 - b) M/s. Weifang Vot International Business Co. Ltd., No. D2704, Dong Feng Street, Shandong - 261 000, Weifang, China;
 - c) M/s. Hai Hui Group Co., Ltd., Industrial Park of Ju County, Shandong – 276500, Rizhao, China;
 - d) M/s. Foodchem International Corporation, Building 9, 2277 Zuchongzhi Road, Zhangjiang Hi - Tech Park, Shanghai - 201203, China;
 - e) M/s. Yixing Zhenfen Medical Chemical Co. Ltd., Zhoutie Town, Yixing City, Jiangsu Province - 214262, China;
 - f) M/s. Hainan Huarong Chemical Co. Ltd, 21A, Beijing Building, No.56, Guomao Road, Hainan, Haikou - 570125, China;
 - g) M/s. Lianyungang Dongtai Food Ingredients Co. Ltd., Room 201, Unit 1, No.A3, Building, 28 Yingzhou Road, Xinpu District, Jiangsu – 222000, Lian Yungang, China;
 - h) M/s. Lianyugang Shuren Kechuang Food, Additive Co. Ltd., The East of Linhong Road, Dapu Chemical Industry Zone, Lianuungang TEDA, Jiangsu -222000, China;
 - i) M/s. COFCO, Fortune Plaza, No.8, Chao Yang Men South St., Chao Yang District, Beijing, China;
 - j) M/s. Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd., Laiwu, No.106 Luzhong East Street, Laiwu, 271100, Taihe city, Shandong, China;
 - k) M/s. Weifang Ensign Industry Co. Ltd., Changle, 1567 Changsheng Street, Changle Weifang, 262499 China.
- v. The Embassy of China PR in India was also requested to advise the exporters/producers from China PR to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to the Embassy along with the names and addresses of the known producers/ exporters from the subject country.
- vi. In response to the initiation of the subject investigation, following producers/exporters from the subject country have responded by filing questionnaire response:
 - a) M/s. Jiangsu Guoxin Union Energy Co. Ltd.
- vii. The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

- a) M/s. Crystal Crop Protection Pvt. Ltd, GI-17, GT Karnal Road, Industrial Area, Azadpur, Delhi – 110033;
 - b) M/s. Desmo Exports, 125-Arenja Arcade, Sector 17, Vashi, Navi Mumbai – 400703, Maharashtra;
 - c) M/s. New Drug & Chemical Co., 4, Jay Mahal Estate 2nd Floor, 20/48, Lohar Chawl, Maharashtra;
 - d) M/s. Colorcon Asia Private Limited, 38-AB, Government Industrial Estate, Charkop, Kandivali West, Mumbai, Maharashtra;
 - e) M/s. ACID –India, Mulratra 2nd Floor, 334- Narshi Natha Street, Mumbai – 400703, Maharashtra;
 - f) M/s. Pradipkumar Pharma Pvt. Ltd., Address: 701, Arun Chambers, 80, Tardeo Road, Mumbai – 400034, Maharashtra;
 - g) M/s. Amijal Chemicals, 5/4, Mungekar Industrial Estate, Off Aarey Road, Goregaon (E), Mumbai, Maharashtra;
 - h) M/s. Adani Pharmachem Pvt.Ltd., Plot No. 2729 to 2731, Road - I-1, Lodhika, G.I.D.C, Village Metoda, Tal. Lodhika, Rajkot – 360021, Gujarat;
 - i) M/s. Sujata Chemicals, 802, GIDC, Makarpura, Vadodara – 390010, Gujarat;
 - j) M/s. Prakash Chemicals Pvt. Ltd., Induchacha House, Opposite Cchani Octroi Naka, Vadodara, Gujarat;
 - k) M/s. RM Chemicals, Guru Kripa Complex, 131, Anna Pilai Street, Sowcarpet, Chennai - 600001, Tamil Nadu;
 - l) M/s. Pfizer Limited, Pfizer Center, Patel Estate, SV Road, Jogeshwari (W), Mumbai – 400102, Maharashtra;
 - m) M/s. FDC Limited, B-8, MIDC Area, Waluj – 431136, Aurangabad, Maharashtra;
 - n) M/s. Wallance Pharmaceutical Ltd., 3rd Floor, Dempo Trade Centre Building, Pattp Plaza, EDC Complex, Panaji - 403001, Goa.
- viii. The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known Associations of subject goods in India for circulation & calling necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- a) ASSOCHAM
 - b) FICCI
 - c) CII
- ix. No importer of the subject goods have responded by filing an Importer Questionnaire response.
- x. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;
- xi. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period and period prior to it, and also the period of investigation, and post POI. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions. The Authority also obtained data from DG-Systems, Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) for POI to correlate quantum of exports from specified exporters to validate the responses filed, to the extent feasible.
- xii. The Non-injurious Price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.

- xiii. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 11th March, 2019. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of their views expressed orally. The parties were also advised to collect written submissions made by the opposing parties and were provided an opportunity to submit their rejoinders, if any.
- xiv. On the spot verification of the information provided by the Applicant was conducted to the extent considered relevant by the Authority.
- xv. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review investigation is 1st April, 2018 to 30th June, 2019 (15 months). The examination of trends in the context of injury and likelihood analysis covered the periods April 2015- March 2016, April 2016-March 2017, April 2017-March 2018 and the POI.
- xvi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this final findings.
- xvii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xviii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- xix. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 16th April, 2020 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The following interested parties have submitted their comments to disclosure statement:
 - a) M/s. Posy Pharmachem Private Limited
 - b) M/s. Jiangsu Guoxin Union Energy Co. Ltd.
- xx. The Authority notes that most of the post-disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions and have already been addressed in the disclosure statement issued by the Authority, and also in these final findings. Other post-disclosure submissions, to the extent considered relevant, have additionally been examined in these final findings.
- xxi. ‘***’ in this document represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxii. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as US\$ 1= ₹ 70.73.

B. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

7. The product under consideration in the present investigation is Sodium Citrate.

B1. Views of the domestic industry

8. The following submissions were made by the domestic industry with regard to the product under consideration:
 - i. The PUC in the present petition is ‘Sodium Citrate’. Sodium Citrate is a chemical compound that comes in the form of monosodium citrate, disodium citrate and trisodium citrate. Sodium Citrate is the sodium salt of citric acid. Like citric acid, it has a sour taste. Like other salts, it also has a salty taste. The PUC has been transacted by the following names:
 - a) Sodium Citrate

- b) Tri sodium Citrate
 - c) Tri sodium citrate dihydrate
 - d) Sodium citrate dihydrate
 - e) Tribasic sodium citrate
 - f) Sodium Citrate Tribasic Dihydrate
 - g) Sodium Citrate Dibasic Sesquihydrate
 - h) Sodium Citrate Monobasic Bioextra
- ii. The PUC may be described differently based on applications. Based on applications, it can be industrial, food ingredients, pharma grade (P/BP/USP), reagent, fish grade. The present petition covers all forms, all types and all possible descriptions of sodium citrate. Further, it includes all alternate names of sodium citrate.
 - iii. The PUC was defined by the Authority in its Final Findings dated 26th February, 2015 in the original investigation. The description of the subject goods or its use has not undergone any change during the past five years. Therefore, description and scope of PUC in the original investigation has been referred to and relied upon in this review investigation as well.
 - iv. There is no known difference in the PUC exported from China PR and that produced by the Indian industry. In the present case, both products are comparable in terms of technical characteristics, similar end uses, technical and commercial substitutability and tariff classification. The two are technically and commercially substitutable.
 - v. The product under consideration is imported under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975, under customs sub-heading 29181520. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

B2. Views of the other interested parties

9. The cooperating producer/exporter has not made any submissions with regard to the scope of the PUC or like article.

B3. Examination by the Authority:

10. The PUC in the present investigation is Sodium Citrate. The subject goods are mainly used as an expectorant and a urine alkalinizer. Sodium Citrate is a chemical compound that comes in the form of mono-sodium citrate, disodium citrate and tri-sodium citrate.
11. The subject goods fall under customs sub-heading 29181520. However, the said customs classifications are only indicative, and not binding on the scope of the investigations. The description of goods shall prevail for the imposition and collection of duties.
12. This being a sunset review investigation, the scope of the PUC remains the same as that in the original and subsequent review investigation. The PUC as mentioned in the original investigation was:

“The product under consideration for the purpose of present investigation is “Sodium Citrate”. It’s a chemical compound that comes in the form of mono-sodium citrate, disodium citrate and tri-sodium citrate. It is sodium salt of citric acid and has a sour and salty taste. Sodium Citrate is mainly used in pharma industries as an expectorant and urine alkalinizer. It is also used as a pharmaceutical aid, food additive in dairy industries, laboratory reagent in water treatment, acidity regulator in drinks, an emulsifier for oils when making cheese and an antioxidant in food, etc.

The product under consideration can also be transacted by the following alternate names:- a. Sodium Citrate b. Tri Sodium Citrate c. Tri Sodium Citrate dihydrate d. Sodium Citrate dihydrate e. Tribasic Sodium Citrate f. Sodium Citrate Tribasic Dihydrate g. Sodium Citrate Dibasic Sesquihydrate h. Sodium Citrate Monobasic Bioextra

Sodium Citrate is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under customs subheading 29181520. The customs classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.”

13. Rule 2(d) relating to the definition of "like article" specifies that "like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation, or in the absence of such an article, another article having characteristics closely resembling those of the article under investigation.
14. From the above definition of the term "like article", it is noted that the like article has to be identical or alike in all respects to the article under investigation. The scope of the term like article shall also include those articles having closely resembling characteristics to those under investigation in the absence of articles identical or alike in all respects.
15. On the basis of information on record, the Authority holds that there is no known difference in the subject goods produced by the Domestic Industry and those imported from the subject country. The two are comparable in terms of physical characteristics, manufacturing process, functions and uses, product specifications, distribution and marketing, and tariff classifications of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers also use the two interchangeably. The Authority holds that the product manufactured by the Applicant constitutes like article to the subject goods being imported into India from the subject country.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

C1. Views of the domestic industry

16. The following submissions have been made by the Domestic Industry in this regard:
 - i. The application has been filed by M/s. Posy Pharmachem Private Limited (hereinafter also referred to as "Posy Pharmachem"). The application is supported by M/s. Adani Pharmachem Pvt. Ltd., M/s. Alpine Labs, M/s. India Phosphate and M/s. Sunil Chemicals. The share of the Applicant along with supporting companies accounts for approximately 61% in Indian production. Even otherwise, M/s. Posy Pharmachem accounts for a substantial share (around 32%) in the POI in production of the product concerned in India.
 - ii. In the original investigation, M/s. Sunil Chemicals was the supporter. At that time Indian industry consisted of 6 producers, viz. M/s. Posy Pharmachem Private Limited; M/s. Sunil Chemicals; M/s. Amijal Chemicals; M/s. Sujata Chemicals; M/s. Vasa Pharmachem; and M/s. Adani Pharmachem Private Limited. Since the imposition of ADD, new capacities have been established in India and the total number of producers has increased from 6 to 11. The existing producers too were able to enhance their capacity in view of the ADD in force.
 - iii. Currently, there are the following 11 producers in India:
 - a) DI in the current SSR investigation and also the original investigation –
 - (1) M/s. Posy Pharmachem Private Limited
 - b) Supporters in the current SSR investigation –
 - (1) M/s. Adani Pharmachem Private Limited
 - (2) M/s. Sunil Chemicals
 - (3) M/s. India Phosphate
 - (4) M/s. Alpine Labs
 - c) Other Producers –
 - (1) M/s Amijal Chemicals
 - (2) M/s. Sujata Chemicals
 - (3) M/s. Vasa Pharmachem Pvt. Ltd.
 - (4) M/s. Devendra Kirti Pharmachem Pvt. Ltd.
 - (5) M/s. Wang Pharmaceuticals & Chemicals
 - (6) M/s. Ishita Drugs & Industries Ltd.

- iv. As regards absence of names of supporters from Initiation Notification under Para 7, it is submitted that the scope of Domestic Industry is different from the scope of supporters. Supporters are not Domestic Industry, as the Domestic Industry provides injury information. The Domestic Industry has not requested Authority to treat supporters as Domestic Industry. The other Indian producers have not provided injury data only because of the small sized operations and complex nature of costing requirements. Other domestic producers cannot be treated as Domestic Industry.
- v. At the stage of SSR investigation, an analysis of standing is not a mandatory requirement. Notwithstanding the same, the Domestic Industry has submitted that its share in Indian production is 32% and thus, it constitutes “a major proportion” of Indian production. The Applicant and the supporters together constitute 61% of Indian production, thus satisfying the requirement of standing as per the Rules.
- vi. The Domestic Industry has not imported the subject goods from the subject country nor are they related to any producer or importer of subject goods.
- vii. It is presumptive on the part of the cooperating producer/exporter that other domestic producers who have not provided their injury data could be doing well.
- viii. The production of other Indian producers is quite low having regard to gross Indian production. Despite holding 32% of Indian production, the Domestic Industry is an MSME. Other Indian producers are even smaller and are also MSMEs.

C2. Views of the other interested parties

17. The cooperating producer/exporter has made the following submissions with regard to eligibility of the Domestic Industry and standing:
 - i. The standing test of the Domestic Industry is a mandatory requirement whether the investigation is original investigation or sunset review investigation. The standing of the Domestic Industry cannot be ignored. Reference has been drawn to Para 4.13 of the Manual of Operating Practices for Trade Remedy investigations, whereby standing test of the Domestic Industry in SSR is to be applied afresh. The standing of the Domestic Industry during SSR is important for a valid investigation. An incorrect standing may render the initiation invalid. The statement made by the Domestic Industry in the written submission is contrary to the past practice of DGTR and should not be taken into consideration.
 - ii. Initiation Notification under Para 7 provided that the Applicant can be termed as eligible DI. However, it has failed to state the names of the supporters in the said para. The initiation Notification has not provided the names of the following supporters mentioned in the Application:
 - a. M/s. Adani Pharmachem Private Limited
 - b. M/s. Sunil Chemicals
 - c. M/s. India Phosphate
 - d. M/s. Alpine Labs
 - iii. As per Trade Notice No. 13/2018 dated 27th September, 2019, a supporter is required to file a complete response in the formats prescribed by the Authority in the said trade notice. The above mentioned four claimed supporters have not complied with the above Trade Notice and have not filed any documents or details such as annual reports, performance parameters, reasons for supporting this application and not becoming co-petitioner, difference in the production process employed by the supporting company and the Applicants or foreign producers, wherever possible, names of major raw materials and packing materials consumed in the production and sale of the PUC, etc. Hence, meaningful and sufficient information of such supporting companies is not available with the cooperating producer/exporter for the purpose of analysis of the economic parameters of the supporting companies. Hence, the above companies should not be considered as supporting the application in the present investigation.

- iv. Why only one out of the 11 producers mentioned in the application has filed the Application is not clear. The other domestic producers may not be participating because of their high earning and rising performance.
- v. The Domestic Industry has failed to file the data of the supporters with the written submissions. This clearly establishes that there is a deliberate attempt on the part of domestic producers in India to mislead the Authority by selective participation. This should be discouraged by the Authority and either the supporters should be asked to file the required information or else the application should be rejected and the investigation be terminated.
- vi. The present investigation is void-ab-initio.

C3. Examination by the Authority:

18. Rule 2 (b) of the Rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".

19. The present sunset review application has been filed by M/s Posy Pharmachem Private Limited. The application has been supported by M/s Adani Pharmachem Private Limited, M/s. Sunil Chemicals, M/s. India Phosphate and M/s. Alpine Labs. There are six other domestic producers of subject goods, namely, M/s Amijal Chemicals, M/s. Sujata Chemicals, M/s Vasa Pharmachem Pvt. Ltd., M/s Devendra Kirti Pharmachem Pvt. Ltd., M/s Wang Pharmaceuticals & Chemicals and M/s. Ishita Drugs & Industries Ltd.
20. As regards the reasons for non-participation of other producers, the Authority notes the submission of the Domestic Industry that these producers are small-scale companies and they may have problems in preparing detailed formats. It is also noted that the Applicant was the sole applicant in the original investigation as well. The production by the Applicant in the present investigation is 32% and constitutes "a major proportion" of total Indian production. None of the other domestic producers have significant production individually and, in any case, there is no information on record with regard to their production. Further, the Applicant is not related to any importer or exporter of subject goods in the subject country, nor have they imported subject goods from subject country. None of the domestic producers have opposed the application. Thus, on the basis of examination of the degree of support for and opposition to the application expressed by domestic producers of the like product, it is determined that the application has been made by the domestic industry.
21. In view of the above, the Authority holds that the Applicant is an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Rules and considers that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

D. CONFIDENTIALITY

D1. Views of the Domestic Industry

22. Various submissions made by the domestic industry with regard to confidentiality claims of the exporters/importers and other interested parties are as follows:
- i. The cooperating producer/exporter has claimed excessive confidentiality by not providing information in the public version of their questionnaire responses. Not even indexed information has been provided. Appendix-I on Performance Parameters is not as per format prescribed by the Authority. Parameters have been provided only for capacity, production, shipment and inventory. Other parameters have been completely deleted from the format violating the Trade Notice prescribed by the Authority. Information on sales of other producers in the subject country and demand in the subject country has also not been provided as required by the SSR Questionnaire-II. The response filed by the cooperating producer/exporter is grossly deficient and is liable to be rejected.

- ii. The Domestic Industry has claimed confidentiality having regard to the Rules. The Domestic Industry cannot disclose such information publicly, confidentiality of which is protected under the Rules. No specific instance has been pointed out by the cooperating producer/exporter where the Domestic Industry has claimed confidentiality and the Rules do not permit the same or confidentiality otherwise is not warranted.
- iii. As regards confidentiality of costing information, the Authority has consistently permitted confidentiality on this information. In any case, this information is highly business-sensitive.

D2. Views of the other interested parties

23. Various submissions made by the interested parties with regard to confidentiality claims of the Domestic Industry are as follows:
 - i. DGTR should not have initiated the present investigation on the basis of the information contained in the Application. The non-confidential version of the Application does not allow for a reasonable understanding of the allegations contained therein. The non-confidential version of the Application clearly violates the requirements specified in Rule-7 of the Rules.
 - ii. The Domestic Industry has claimed excessive confidentiality and filed an incomplete Application.
 - iii. The share of the Applicant in Indian production is kept confidential on the grounds of “*Business sensitive information not Amenable to Summarisation*” in Annexure 2.3 of the Application whereas the combined share of the Domestic Industry and the supporters is provided.
 - iv. In response to Section-VI (Costing Information) of the Application, the Domestic Industry has not furnished any information at all. The Domestic Industry has replied to all questions raised in Part VI of the Application “*please refer enclosed Format A to K*”, but nothing has been provided in the non-confidential version of these formats. The Domestic Industry is required to show reasonable justification for the claim, but has failed to do so.
 - v. The information filed by the Domestic Industry is grossly deficient. The Authority is requested to direct the Domestic Industry to provide the above information along with a non-confidential summary of the same so that the cooperating producer/exporter is able to give comments.

D3. Examination by the Authority

24. Various submissions made by the Applicant as well as other interested parties during the course of the investigation with regard to confidentiality, to the extent considered relevant by the Authority, have been examined and addressed as follows:
25. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).
26. With regard to confidentiality of information Rule 7 of the Rules provides as follows:

“7. Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

27. As regards the contentions with regard to confidentiality of information, it is noted that information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties in the form of public file. The information related to imports, performance parameters and injury parameters of domestic industry has been made available in the public file. Business sensitive information has been kept confidential as per practice. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.

E. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

28. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*
 - (b) *Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

E1. Views of the Domestic industry

29. The following are the submissions made by the Applicant in respect of normal value:

- i. The Applicant has cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and stated that the Chinese producers should be directed to show that consistent with the provisions of Article 15(a)(i), market economy conditions prevail in the industry producing the like product, with regard to the manufacture, production and sale of that product under consideration, so that Chinese prices or costs can be used for the industry under investigation. Additionally, the Applicant has provided evidence which is relevant in establishing that market economy conditions prevail in the industry producing the like article with regard to manufacture, production and sale of product under consideration.
- ii. The Applicant has claimed that should the above-stated stand be inapplicable, in accordance with provisions of Para 1-6 of the Rules, Chinese domestic costs and prices nevertheless cannot be accepted unless the Chinese exporters pass the tests of market economy. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters from China, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.
- iii. In view of the above the Applicant has determined Normal Value in China on the basis of cost of production in India, based on the cost of the domestic industry duly adjusted with selling, general and administrative expenses.

- iv. The Applicant in its written submissions dated 18th March, 2020, post oral hearing held on 11th March, 2020, submitted that as provided under Para 7 of Annexure 1 to the Rules, it explored all options in a sequential manner:
- a) Normal value could not be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available. Such normal value must be comparable price in the ordinary course of trade the like article when meant for consumption in such market economy third country. Principles of fair comparison as laid down under Article 2.4 of the Anti-dumping Agreement are also relevant in this respect. The Applicant has not been able to procure such information from a producer in market economy third country.
 - b) Constructed value also implies the cost of production (with reasonable addition for profit) as evidence of normal value in a market economy third country. However, there is no published information available about the same.
 - c) The Applicant does not have information on PUC from any market economy third country to other country. Further, as regards price from market economy country to India, it may be seen that imports from other countries other than China PR, have miniscule balance of exports in terms of volume and hence, cannot be considered representative for the purpose of determination of normal value. Further, it must be emphasized that imports from Cambodia are actually of Chinese origin as there are no manufacturers of the PUC in Cambodia.
 - d) In the absence of information available on the above, accordingly, the Applicant has determined Normal Value in China on the basis of cost of production in India, based on the cost of production of the domestic industry duly adjusted with selling, general and administrative expenses and reasonable profit.

E2. Views of the interested parties

30. No submissions have been made by the exporters or other interested parties with regard to normal value.

E3. Examination by the Authority

E.3.1 Determination of normal value and export price

Market economy status for Chinese Producers

31. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM

Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event; the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

32. It is noted that while, the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the responding producer / exporter from China PR has not submitted the supplementary questionnaire response, the normal value computation is required to be done as per provisions of para 7 of Annexure I of the Rules.
33. Accordingly, the normal value and export price for the producers/ exporters from the subject country have been determined as below.

Normal Value for all Producers in China PR

34. As none of the producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/information, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules.
35. Para 7 of Annexure I of the Rules provides as under:

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

36. In the absence of sufficient information on record, regarding the other methods as enshrined in Para 7 of Annexure I of the Rules, the normal value has been determined by considering the method on "any other reasonable basis". The Authority has, therefore, constructed the normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and addition of reasonable profits. The Constructed Normal Value so determined for POI by the Authority is mentioned in the dumping margin table below.

Determination of Export Price

a. M/s. Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd.

37. M/s. Jiangsu Guoxin Union Energy Co. Ltd., (Jiangsu) is a producer and exporter of subject goods from China PR and has submitted the questionnaire response in the form and manner prescribed. It is noted that during the POI, M/s Jiangsu made export sales of ***MT for US\$ *** to India and *** MT for US\$ *** to third countries.

38. It is also noted from the response that some of the transactions of the cooperating producer/exporter's exports to India are on FOB basis and some are on CIF. The cooperating producer/exporter has claimed ocean freight charges, insurance, inland transportation, bank charges and credit cost as adjustments. The Authority made adjustments on account of inland freight, handling charges, ocean freight, insurance, cash credit, bank charges and VAT as claimed by the exporter in its response to the questionnaire in order to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for M/s Jiangsu, has been determined and is mentioned in the dumping margin table below.

b. Export Price for all other producers/exporters from China PR

39. The export price for the non-responding producers/exporters from China PR has been determined on the basis of facts available taking into account the export transactions of the responding exporter.

E.3.2 Dumping Margin

40. Based on normal value and export price determined as above, the dumping margin for producers/exporters from China PR has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

Country	Producer	Normal Value/ CNV (US\$/MT)	Export Price (US\$/MT)	Dumping Margin US\$/MT	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
China PR	Jiangsu Guoxin Union Energy Co. Ltd.	***	***	***	***	20-40
	Other producers and exporters	***	***	***	***	40-60

41. The dumping margins are more than the *de-minimis* limits prescribed under the Rules.

F. DETERMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK AND LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY TO THE DOMESTIC INDUSTRY

42. The views on injury, likelihood and causality are as under:

F1. Views of the Domestic industry

43. There has been a continued increase in demand till 2017-18, with only a slight decline in the POI. Thus, over the injury period the demand for the subject goods has seen an overall increase.

44. Imports from China PR declined over the injury period only due to the imposition of ADD. However, imports remained significant, and entered the market at dumped prices. In the event of cessation of ADD, it is likely that the dumped imports will increase considering significant surplus capacity available with the producers in the subject country and considering the price at which the subject goods are being imported. Imports in relative terms have declined over the injury period as a result of the remedial effect of ADD in place. However, they continue to remain significant

despite the imposition of ADD. The analysis of imports, domestic sales, demand and market share shows that while the imposition of ADD has only some remedial effects and not to the extent that would have been desirable as imports are still entering the market at dumped prices. Imports continue to hold a significant market share.

45. Landed price of imports is below the level of selling price of the Domestic Industry and price undercutting has remained positive throughout the injury period except briefly in 2017-18. Therefore, imports are likely to undercut prices of the Domestic Industry in the event of cessation of ADD. The cost of production increased throughout the injury period. While the increase in selling price was commensurate with the cost of production till 2017-18, it, however, declined in the POI with a steep decline in import prices. Further, the landed price of imports is below both the selling price and cost of production of the Domestic Industry. Imports are likely to cause suppressing/depressing effect on the domestic market in the event of cessation of ADD.
46. The capacity of the Domestic Industry has registered an increasing trend throughout the injury period in view of the growing demand and considering export markets. The production and domestic sales of the Domestic Industry has increased. The capacity utilization of the Domestic Industry has also increased over the period. Such improvement is because of the imposition of ADD. Imports in the domestic market are not necessary as the Indian industry has sufficient capacities to cater to the demand. However, imports from the Subject Country are still significant.
47. The Market share of the Indian industry and that of the Domestic Industry increased, as a result of a decline in the share of subject imports. The market share of the subject imports has declined as a direct consequence of the imposition of ADD. However, the subject imports continue to maintain a considerable market share, and in all likelihood, should the ADD cease to exist, this market share shall see a sharp increase.
48. The performance of the Domestic Industry has improved over the injury period, but has declined in the POI. Return on investment and cash profits have followed the same trend as that of profitability.
49. Inventories with the Domestic Industry have increased over the injury period.
50. Employment and wages increased between 2015-16 and 2017-18, and declined in the POI. Wages per unit has also declined in the POI. Productivity of the Domestic Industry has increased in line with the increase in production. The Domestic Industry has registered a growth both in terms of volume and price parameters. Various parameters, i.e. sales volume, sales value, production volume, capacity utilization showed positive growth over the period. However, even when profits and ROI registered a positive growth, the same declined in the POI and are at below optimum/desired levels indicating the vulnerable position of the Domestic Industry. This improvement in performance of the Domestic Industry was only because of the ADD in place. However, post 2017-18, the performance of the Domestic Industry in terms of profit, return on investment and cash profits has declined with significant and positive undercutting registered in the POI.
51. The causal link has already been established in the original investigation. There exists a causal relationship between the likelihood of continuation or recurrence of dumping and likelihood of continuation or recurrence of injury:
 - i. The dumped imports from the Subject Country have continued to enter the Indian ports at dumped price despite ADD in force.
 - ii. Subject imports are available at prices lower than the domestic prices. If ADD ceases to exist, the volume of dumped imports shall intensify.
 - iii. The imports are undercutting and underselling the domestic prices in the POI.
 - iv. In case ADD ceases to exist and consequently imports from the subject country further increase, the Domestic Industry would be forced to reduce the prices of the product concerned significantly given the fact that the product concerned is a commodity product.
 - v. Should the Domestic Industry be forced to reduce the prices, its natural impact would be on the profitability of the Domestic Industry. Decline in profits would lead to a decline in cash flow and return on investment.

- vi. Should the Domestic Industry choose to maintain its normal price levels, it is likely to lose its sales volume as consumers would increasingly switch over to the imports.
 - vii. Should the Domestic Industry prefer to lose sales volumes, there would be an increase in inventories level; decline in production, capacity utilization and productivity, increase in cost of production and decline in profits.
52. While imports have declined in the current period, in the POI, the decline in import price is far beyond the decline in cost of production.
 53. As regards the argument of the cooperating producer/exporter that claims of Domestic Industry is contrary to published information, the Domestic Industry has submitted that it is not a listed company and has not published anywhere anything which is contrary to the claims in the petition.
 54. The cooperating producer/exporter's reference to Article 5 is entirely misplaced in a situation where the application is under Article 11. The requirements under Article 11 are quite different from the requirements under Article 5. Notwithstanding, petition contains sufficient information on the parameters identified by the interested party. Similarly, reference to Article 3 is also misplaced. As regards reference to the WTO decisions, the same are also highly misplaced for the reason that the same do not pertain to SSR cases and pertain to fresh investigations. Since the present investigation is not in the nature of fresh investigations, the stated cases are in any case not applicable.
 55. The Domestic Industry has not claimed current volume injury as justification for extension of duty. Nor should there be current volume injury to the Domestic Industry for extension of ADD. The Domestic Industry has claimed likelihood of injury in the event of cessation of ADD. Given the high price undercutting and significant capacities with the exporters, it follows that there will be significant increase in imports should the present ADD ceases.
 56. The cooperating producer/exporter's attribution to the absence of injury information from supporting producers or other domestic producers is clearly without any basis. The real reason for other domestic producers not participating is the complex requirements and MSME nature of the industry. In any case, there is no evidence that other domestic producers' performance is such that the same will establish no need for extension of ADD.
 57. In any case, what needs to be seen in a review investigation is the likely performance of the Domestic Industry in the event of cessation of ADD. The fact that the producers have mammoth capacities much more than their domestic demand, are export-oriented and the producers are attracting ADD by various other jurisdictions indicates likely surge in dumped imports which will resultantly cause injury to the Domestic Industry.
 58. The Domestic Industry has submitted that they have not claimed that the dumping from China PR in the present period has led to adverse effect on capacity or production. Nor are they required to show that the dumping from China PR is preventing enhancement of capacities or increase in production or sales. In fact, the Domestic Industry is protected during this period as a result of which while the Domestic Industry has enhanced capacities, other companies have setup capacities in the country. A number of new players have come in the market which clearly shows positive effect of imposition of ADD.
 59. The reason for decline in PBIT in the POI is the fact that the import price reduced significantly in the POI as compared to preceding year despite the fact that cost of production has not declined to proportionate extent. The import price declined far beyond the decline in cost of production. Resultantly, the Domestic Industry is forced to reduce the prices in the POI far beyond the decline in cost of production resulting in significant decline in profit per unit.
 60. There is likelihood of continuation of dumping and injury in the event of cessation of ADD. The Appellate Body in US-Corrosion Resistant Steel Sunset Review itself states that that there are three conditions, which, if satisfied, ADD will be continued. Relevant extracts of the report as follows:

Article 11.3 imposes a temporal limitation on the maintenance of anti-dumping duties. It lays down a mandatory rule with an exception. Specifically, Members are required to terminate an antidumping duty within five years of its imposition "unless" the following conditions are satisfied: first, that a review be initiated before the expiry of five years from the date of the

imposition of the duty; second, that in the review the authorities determine that the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping; and third, that in the review the authorities determine that the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of injury. If any one of these conditions is not satisfied, the duty must be terminated.

All the three conditions laid down by the Appellate Body is fulfilled in the present case, i.e., *first*, sunset review investigation was initiated before expiry of five years from the date of imposition of duty and *second*, the expiry of duties is likely to lead to continuation and intensified dumping and *thirdly* expiry of duties is likely to lead to continuation of injury to the domestic industry.

61. The exporters in the subject country have surplus excess capacity and have tendency to dump goods in various countries. The imports from China are at dumped and injurious price despite imposition of ADD. The excess capacity found through other jurisdiction findings suggests is 26 times of that of the total Indian demand. Thus, cessation of ADD is likely to lead to continuation of dumping and injury to the Domestic Industry.

F2. Views of other interested parties

62. SSR can only be initiated where sufficient evidence of dumping, material injury, likelihood and causation, is provided. Information provided by the Domestic Industry is manifestly insufficient to justify initiation. The Domestic Industry has failed to evaluate relevant economic factors under Rule 11 and para IV of Annexure II. Article 5.3 of the Anti-Dumping Agreement requires the Authority to examine sufficiency of evidence to justify initiation. The cooperating producer/exporter has relied on the case of US-Softwood Lumber from Canada. Further, in Guatemala-Cement II, it is stated that application satisfied under Article 5.2 does not show that there is sufficient evidence for initiation under Article 5.3. Further, the cooperating producer/exporter has relied on the Mexico-Steel Pipes and Tubes, to state that mere initiation does not mean that Authority justified itself for sufficient evidence. The cooperating producer/exporter has quoted Article 3(1) and Article 3.5 of the Anti-Dumping Agreement, to counter the Domestic Industry's claim of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.
63. The facts on record reveal that there is a decline in imports of subject goods from China PR, and the Domestic Industry has deliberately invented injury. If the investigating authority continues the investigation, it shall be determined that there is no dumping of the subject goods which has caused injury to the Domestic Industry.
64. The claims of the Domestic Industry are contrary to the published information and appear to be concocted and fabricated to show injury.
65. The Domestic Industry has failed to evaluate some of the relevant economic factors and indices listed in Rule-11 of the Rules and para IV of Annexure II thereof. Indexed data on unit price, total costs, investments, employment and stocks are not explicitly provided and analyzed in the narrative of the Application, which lacks a meaningful analysis. In this respect, the cooperating producer/exporter has quoted Rule 5(3) (b) of the Rules regarding initiation of an investigation.
66. The domestic sales of the Domestic Industry and the supporters have increased significantly from 100 in 2015-16 to 206 in the POI with demand increasing from 100 to 166 during the same time period, while imports from the Subject Country have declined from 100 to 87 during the same time period. The increase in sales of the Domestic Industry and supporters clearly indicates that there is no volume injury to the Domestic Industry caused due to imports from the Subject Countries.
67. The market share of China PR has declined drastically during the POI as compared to the base year 2015-16. However, the market shares of the Domestic Industry and its supporters have increased during the POI.
68. The capacity of the Domestic Industry increased every year during the injury period and the POI. The capacity increased from 100 in 2015-16 to 208 during the POI. Accordingly, the production has also increased sharply during the POI to 207 from 100 during 2015-16. Therefore, injury, if any, is mainly caused because of undue/unjustified capacity enhancements.
69. The sales volumes of the Domestic Industry have increased drastically in domestic market and exports. The increment is of 129% in domestic sales and 136% in export sales during the POI.

70. The captive consumption has also increased substantially during the POI to 211 as compared to 100 during 2015-16.
71. The sales realization per unit has increased from 100 in 2015-16 to 107 during the POI.
72. The average stock in 2015-16 was 100 and it increased to 110 during the POI. But this cannot be taken in isolation for the purpose of determining the injury caused to the DI. The capacity of the Domestic Industry is increasing along with the domestic and export sales so stock can be kept as inventory. The capacity of the Domestic Industry has increased 108% whereas the inventory shows a nominal increment of just 10%. Hence, imports of the subject goods are not causing any material injury to the DI.
73. The PBIT-Domestic Sales increased from 100 in 2015-16 to 119 during the POI. Cash profits have also increased from 100 in 2015-16 to 113 during the POI.
74. It is not clear how the cash profit and profit before interest and tax have shown a tremendous increase in 2017-18 and a regressive decline during the POI though the POI is of 15 months.
75. The overall performance of the Domestic Industry has improved significantly. It seems that there are some other factors which are causing injury to the DI.
76. The number of employees has increased substantially from 100 in 2015-16 to 130 during the POI. Productivity per day has also increased from 100 during the base year to 127 during the POI. Thus, there is no injury to the Domestic Industry from the imports from China PR.
77. It is not clear how the number of employees can decline from 207 in 2017-18 to 130 during the POI.
78. The return on capital employed is positive. Thus, there is no injury on account of imports.
79. Any injury allegedly suffered by the Domestic Industry is due to factors other than imports from the Subject Country.

F3. Examination by the Authority

80. The Authority has taken note of the arguments and counter-arguments of the all the interested parties with regard to injury to the Domestic Industry. The injury analysis so made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
81. Rule 11 of the Rules read with its Annexure – II thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles.*”
82. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall apply *mutatis mutandis* in case of a review. In case the performance of the Domestic Industry shows that it has not suffered injury during the current injury period, the Authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to recurrence of injury to the Domestic Industry.
83. While considering the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the Domestic Industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure-II of the Rules. The Authority has taken note of various submissions of the Domestic Industry and the exporters / importers / traders / users on injury to the Domestic Industry and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses the various submissions made by the interested parties.

F3.1 Volume Effect of dumped imports and impact on domestic industry**i. Assessment of Demand/Apparent Consumption**

84. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product concerned in India as the sum of domestic sales of the Domestic Industry and other Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below. As evident from the table, the demand for the PUC has been increasing significantly during the injury period, and has almost doubled during the POI as compared to base year.

Demand	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	POI(A)
Domestic industry's sales	MT	***	***	***	***	***
Supporters	MT	***	***	***	***	***
Other producers' sales	MT	2,740	3,290	3,880	5,813	4,650
Subject imports	MT	841	1,159	772	1,014	811
Other imports	MT	325	907	1,244	530	424
Demand/consumption	MT	7,294	8,364	11,169	15,473	12,378

ii. Volume Effect of Dumped Imports and Impact on Domestic Industry**Import Volume and Share**

85. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction-wise import data procured from DGCI&S. The import volumes of the subject goods from subject country and share of the dumped import during the injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	POI (A)
Imports in Absolute Terms						
China PR	MT	841	1,159	772	1,014	811
Other Countries	MT	325	907	1,244	530	424
Total Imports	MT	1,167	2,065	2,015	1,544	1,235
Demand/consumption	MT	7,294	8,364	11,169	15,473	12,378
Production	MT	***	***	***	***	***
Imports of subject goods from subject country in relation to						
Indian production	%	***	***	***	***	***
Demand/consumption	%	12%	14%	7%	7%	7%

86. It is noted that the imports of PUC from the subject country have marginally declined over the injury period in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. The imports, however, still remain significant in both, absolute terms and in relation to production and consumption in India. It is noted that imports from other countries had also increased till 2017-18 before they declined during the POI. The domestic industry has submitted that the increase in subject goods are largely from Cambodia which are goods of Chinese origin, as there is no production facility for this product in Cambodia. Since the domestic industry has not substantiated its claim further, nor has filed any petition under anti circumvention provisions, the same has been considered irrelevant for the present purposes.

F3.2 Price Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

87. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, the Authority is required to consider the effect of the dumped imports on domestic prices in terms of price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

a. Price Undercutting

88. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the Domestic Industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the Domestic Industry were determined at the *ex-factory* level.

89. Price undercutting has been assessed by comparing the landed price of imports with the domestic selling price in India of the subject goods during the POI.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI (A)
Landed price of imports	Rs./MT	58,905	62,882	67,910	58,480
Net Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
	Range	0-20	(20)-0	(20)-0	0-20

90. It is seen that besides 2016-17 and 2017-18, the landed price of imports have remained below the level of selling price. The price undercutting in POI has increased significantly from the base year.

b. Price Suppression and Depression

91. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the information given by the Domestic Industry for the changes in the costs and prices over the injury period has been compared with the landed value to see the desired effect. The details are as under:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI (A)
Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	94.71	100.19	107.65
Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	102.61	111.16	106.10
Landed price of imports from subject country	Rs./MT	58,905	62,882	67,910	58,480
Trend	Indexed	100.00	106.75	115.29	99.28

92. From the above table, it is noted that the landed value of imports from the subject country was below the selling price of the Domestic Industry in the POI. In fact, barring 2016-17, and 2017-18, the landed value of subject goods was below the cost of sales and selling price. As a result, the dumped imports of subject goods from subject country have not allowed the domestic industry to fetch a selling price which could re-cover its full cost and reasonable profit margin. It is also noted that price depressing effect is not discernible when examined from the base year, However, domestic industry prices have been depressed in the POI as compared to 2017-18, and it is likely that price effect on the domestic industry will be adverse in the event of revocation of anti-dumping duty.

93. Though the selling price and cost of sales of subject goods have increased since base year, the selling price of the subject goods has not increased in proportion to the cost of sales of the subject goods. The price suppression effect is more pronounced since 2017-18 onwards when the selling price decreased by 5% while the cost of sales increased by 7%.

c. Price Underselling

94. The Authority has also examined price underselling suffered by the Domestic Industry on account of dumped imports from the subject country. For this purpose, the NIP determined based on average NIP for the Domestic Industry has been compared with the landed price of imports as obtained from the DGCI&S import data.

95. It is noted that the landed price of imports was much below the non-injurious price of the Domestic Industry. The Authority notes that the Domestic Industry has suffered price underselling during POI due to dumped imports of the subject goods from the subject country

Price Underselling	USD/MT
Non Injurious price (US\$/MT)	***
Landed value (US\$/MT)	826.77
Price Underselling Margin (US\$/MT)	***
Price Underselling %	***
Price Underselling % (Range)	0-20

F3.3 Economic Parameters relating to the Domestic Industry

96. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of alleged imports on domestic producers of such products. With regard to the consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

97. The various injury parameters relating to the Domestic Industry are discussed herein below:

a. Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales Volumes

98. The performance of the Domestic Industry with regard to production, domestic sales, capacity and capacity utilization is as follows:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI	POI(A)
Capacity	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	150	208	208
Total Production	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	144	207	207
Total Capacity Utilization	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	86	96	99	99
Domestic Sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	103	160	222	178

99. The Authority notes the following:

- i. The capacity installed by the DI, the total production of the Domestic Industry and its domestic sales increased throughout the injury period, including the POI.
- ii. The capacity utilization dipped in 2016-17, as compared to the base year, and thereafter increased again in 2017, and in the POI.

Market Share in Demand

100. Market share of alleged dumped imports and Domestic Industry have been examined as below:

Particulars	UoM	2015-16	2016-17	2017-18	POI(A)
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	90.05	104.47	104.83
Supporters	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	63.97	98.67	121.64
Other Indian Producers	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	104.71	92.48	100.00
Subject imports	%	11.53%	13.85%	6.91%	6.56%
Trend	Indexed	100.00	120.14	59.90	56.84
Other imports	%	4.46%	10.84%	11.14%	3.43%
Trend	Indexed	100.00	242.93	249.60	76.77
Total	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

101. It is noted that the market share of the Domestic Industry declined in 2016-17 as compared to 2015-16. Thereafter the market share of the Domestic Industry has been increasing, including in the POI. Thus, during the injury period, the market share of the domestic industry has marginally increased. The market share of the import of subject goods from subject country increased in 2016-17 as compared to 2015-16 and thereafter has declined.

c. Profit or Loss, Cash Profits and Return on Investment

102. Performance of the domestic industry with regard to profit, return on investment and cash flow is as follows:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI (A)
Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94.71	100.19	107.65
Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102.61	111.16	106.10
Profit Before Tax (PBT)	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	(-100)	943.92	1,304.40	(192.26)
Total PBT - Domestic Sales	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	(-100)	971.41	2,026.16	(419.84)
Cash Profits	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	1,158.45	2,214.94	(297.53)

Average Capital Employed	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108.42	144.24	118.76
Return on capital employed (ROCE)	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	1,205.12	1,854.88	(302.33)

103. It is noted that the profitability, the return on capital employed, and cash profit increased from the base year till 2017-18, however, in the POI, all three parameters declined significantly and became negative.

d. Inventories

104. The data relating to inventory of the subject goods indicates an increase in 2016-17 as compared to 2015-16. Since then there has been a decline. The average inventory levels of the domestic industry have declined over the injury period.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI (A)
Opening Stock	MT	***	***	***	***
Closing Stock	MT	***	***	***	***
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Average Inventory	Trend	100	167	165	110

e. Employment and Productivity

105. The details of employment and wages are given below:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI (A)
No. of Employees	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	170	207	215
Productivity /Employee	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	58	70	78
Productivity /day	MT/Day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.0	100.4	143.8	165.7

106. The number of employees increased throughout the injury period, including the POI. The productivity per employee declined from 2015-16 to 2016-17, and has been increasing thereafter, while the productivity per day increased throughout the injury period, including the POI.

f. Magnitude of Dumping Margin

107. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped in India and are consequently causing or likely to cause injury to the Domestic Industry. The investigation has shown that dumping margin is positive and significant in the present investigation period. The dumping continues despite anti-dumping duty in force.

g. Ability to raise Capital Investment

108. The Authority notes that the performance of the Domestic Industry has deteriorated considerably, and continued dumping of the product under consideration may adversely impact the ability of the domestic industry to raise capital investment.

h. Growth

109. The table below shows that the Domestic Industry has registered positive growth in terms of production, domestic sales, capacity utilization and cost of sales and registered a decline in the selling price and profitability during the POI.

Particulars	UOM	2016-17	2017-18	POI (A)
Total Production	%	0.4	43.3	15
Domestic Sales	%	3.3	54.9	11.2
Total Capacity Utilization	%	-14.9	12.3	3.1
Cost of Sales	%	-5.3	5.8	7.5
Selling Price	%	2.6	8.3	-4.5
Profit/Loss	%	-943.9	42.7	-124.3

i. Factors Affecting Domestic Prices

110. The examination of the import prices from the subject country, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the Domestic Industry in the domestic market shows that the landed value of subject goods from the subject country is below the selling price and the non-injurious price of the domestic industry causing price undercutting, and price underselling in the Indian market. The Authority notes that the prices of the product under consideration in general should move in tandem with the prices of key raw materials, and the domestic industry has been fixing its prices considering these input prices and landed price of imports. Thus, the landed value of subject goods from the subject country is an important factor for determination of domestic prices.

F3.4 Causal Link & Non Attribution Analysis

111. As per the Rules, the Authority, *inter alia*, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the Domestic Industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, *inter alia*, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the Domestic Industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the Domestic Industry:

- a. **Volume and prices of imports from third countries:** While the volume of imports from the other countries as a share of total imports into India has increased, however, the same are at higher prices in the POI.
- b. **Changes in demand:** Demand for the subject goods has increased consistently over the entire injury period. Thus, injury to the Domestic Industry has not been caused due to contraction in demand or changes in pattern of consumption.
- c. **Developments in technology:** Technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, developments in technology cannot be regarded as a factor causing injury to the Domestic Industry.
- d. **Conditions of competition and trade restrictive practices:** There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the Domestic Industry.
- e. **Export performance of the domestic industry:** The Applicant has exported the PUC. It is seen that performance of the Domestic Industry has not deteriorated in exports. However, export performance is not relevant here since the Authority has considered only the domestic performance of the Domestic Industry for injury analysis.
- f. **Performance of other products produced and sold by the domestic industry:** The performance of other products being produced and sold by the Domestic Industry has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performance. The information considered by the Authority is with respect to the domestic like product only.

F3.5 INJURY MARGIN

112. The Authority has determined Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining NIP, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. The production in POI has been calculated considering the best capacity utilisation and the same production has been considered for arriving per unit fixed cost. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. Average Net Fixed Assets plus Average Working Capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.
113. For all the non-cooperative producers/exporters from China PR, the Authority has determined the landed price based on facts available
114. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters from China PR has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:-

Country	Producer	Non-Injurious Price (US\$/MT)	Landed Value (US\$/MT)	Injury Margin US\$/MT	Injury Margin (%)	Injury Margin (Range)
China PR	Jiangsu Guoxin Union Energy Co.,Ltd.	***	***	***	***	0-20
	Other producers and exporters	***	***	***	***	20-40

115. It is noted that injury margin is positive and significant for cooperating producer and exporter from the subject country for POI.

Conclusion by the Authority on injury and causal link

116. The Authority notes that the dumped imports of the subject goods from the subject country continue to be significant even after imposition of definitive ADD on subject imports. Imports of the product are undercutting the prices of the Domestic Industry in the market. Further, while the cost of production had increased over the injury period, the increase in selling price is less than increase in cost of production while the landed price of subject goods continue to be less than selling price and cost of sales barring 2016-17 and 2017-18. The imports are, thus, suppressing the prices of the Domestic Industry since 2017-18 and preventing the price increases that would have otherwise occurred in the absence of dumped imports.
117. The Authority notes that the Domestic Industry has suffered injury on account price effect of dumped imports, as a result of which the profitability of the domestic industry has declined. It is also noted that return on capital employed, profits and cash profits turned negative in POI. Thus, growth in respect of most of the parameters such as profits, cash profits, and return on capital employed, shows an adverse impact on the domestic industry.
118. An analysis of the performance of the Domestic Industry over the injury period shows that the performance of the Domestic Industry has deteriorated due to dumped imports from subject country. Causal link between dumped imports and the injury to the Domestic Industry is established on the following grounds:

- i. Price undercutting being caused by the dumped imports prevented the increase in prices of the Domestic Industry which otherwise would have happened.
- ii. The price suppression effect of dumped imports from subject country has resulted in erosion in profitability of the Domestic Industry.
- iii. The Domestic Industry has been prevented from increasing its production, capacity utilization and market share despite existence of significant demand and capacities in the Country.
- iv. Deterioration in profits, return on capital employed and cash profits are a result of dumped imports.
- v. The growth of the Domestic Industry became negative in terms of a number of economic parameters like profitability, cash profit and ROCE.

F.36 LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

119. The Authority observes that this is an SSR investigation and the focus of this investigation is to examine the likely scenario of continued dumping and consequent injury if ADD was to be allowed to expire even if there is no current injury.

Views of the Domestic Industry

120. The Domestic Industry has submitted the following regarding likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:

- i. Decline in imports after the imposition of ADD and a positive dumping margin in such imports imply the likelihood of dumping in the event of withdrawal of ADD and justify the extension of ADD.
- ii. The consistent approach followed by investigating authorities around the world is that in case of decline in imports or low imports, there is a need to investigate whether there is likelihood of dumping and injury in the event of cessation of duties.
- iii. Although the volume of subject imports has declined post-imposition of ADD, but the imports are coming in at dumped and injurious prices. Imports are also undercutting the Domestic Industry prices. Thus, cessation of ADD is likely to lead to intensified dumping and consequent injury to the Domestic Industry.
- iv. ADD covering imports of Sodium Citrate from China are in place in Brazil, Colombia, the EU, Russia, Thailand and the USA.
- v. Producers/exporters in China have excessive production capacities. In case of cessation of the present ADD, dumping from China would definitely increase and ultimately cause intensified volume and price injury to the DI. The spare capacity with the producers in China in 2012 was estimated to be 192,000 MT, whereas the entire domestic demand in India in the POI was around 7,200 MT. Even if it is assumed that there has been no enhancement in capacity since 2012, and considering the same extent of excess capacity, it would mean that the excess capacity in itself is 26 times that of the total Indian demand.
- vi. Since the exporters hold significant surplus and unutilized capacities, the exporter would find the Indian market attractive. Indian market is highly price sensitive. The consumers decide their procurement, with the price being the foremost consideration. In the event of cessation of current ADD, the domestic industry will have to either reduce the selling price by the amount of ADD or the domestic industry would lose sales volumes.
- vii. Price undercutting without ADD is high in the POI. Thus, if ADD currently in place is allowed to expire, the dumped imports would cause severe price undercutting which would in turn cause material injury in the form of low volume of sales, reduced selling price and decline in profits of the DI.

- viii. In the event of cessation of the current ADD and if the Domestic Industry is constrained to sell at import prices, the profitability of the Domestic Industry would significantly become negative and it will incur huge losses.

Views of the Other Interested Parties

121. The submissions of the cooperating producer/exporter, with regard to the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury are summarized hereunder:
- i. The Domestic Industry's submission that excessive production capacity is held by the subject country and that there is export orientation is baseless and unsubstantiated. As per information filed with the Authority, M/s. Jiangsu Guoxin is working almost at 100% capacity utilization. Further, the relevant extracts shown by the Domestic Industry in its written submission is of 5 years ago i.e. 2015 whereas the POI for the current investigation is April 2018 to June 2019. The extracts of the findings which are presented in the written submission were based on the POI of October 2012 to September 2013 (EU Findings) and POI of May 2013 to April 2014 (US Findings). There is about 5-to-6-years gap between the POIs, and during such a long period, the situation of production capacity has changed a lot in China. Further, the production capacity investigated by EC covers both Sodium Citrate and Citric Acid, the production capacity investigated by USA covers Sodium Citrate, Citric Acid and Potassium Citrate. That means the production capacity investigated by USA and EC including the PUC and other products. Thus, the data and analysis of the US Findings and EC Findings are not relevant for the current SSR investigation.
 - ii. The Domestic Industry has claimed that if the current ADD are terminated, this will result in a surge of exports from China PR and is likely at increased dumping levels and such acts will lead to a continuation or recurrence of dumping and injury. These claims of likelihood of continuation or recurrence of injury are based on unjustified speculation about the Chinese commercial behaviour and reference to certain specific trade factors, notably China's pattern of sales to third country markets. The producers/exporters are exporting the subject goods to third countries at a price equal to or higher than in India. The Chinese producers have developed a wide range of export markets beyond the Indian market, the supply and demand of PUC are balanced and remain stable in each market. M/s. Jiangsu Guoxin's questionnaire reply shows that during the POI, the PUC was exported to 65 other countries excluding India. Thus, there is no possibility to shift the exports to India. In fact, the exporters can shift the export from India to third countries since they are getting higher price.

Examination by the Authority with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury

122. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as to whether there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in the event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the Domestic Industry and other interested parties, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury.
123. The present investigation is a sunset review of ADD earlier imposed on the imports of subject goods from China PR. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of ADD is warranted. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia for factors which are required to be taken into consideration viz.:
- i. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;
 - ii. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
 - iii. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
 - iv. Inventories of the article being investigated.

i. Continued dumping

124. The dumped imports from China PR continue despite imposition of ADD. Thus, dumping is likely to continue in the event of cessation of ADD.
125. It is seen that subject goods are subject to ADD by Russia, Thailand, Europe, USA, Brazil and Colombia. It is also noted that some of these measures have been extended following sunset review investigations.

ii. Excess Capacity

126. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicates the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports. This parameter for ascertaining the threat of material injury requires evaluation of freely disposable capacities and capacity addition, if any, to explore the possibility of diversion of disposable quantity to Indian market. The Domestic Industry has claimed that the producers in subject countries are already faced with significant surplus capacities and that these producers are exporting the product to a large number of countries, a very significant proportion of which is being exported at a price below the prices in respect of India, thus showing likelihood of diversion of these exports to India in the event of withdrawal of ADD.
127. The Domestic Industry has referred to EC and US review findings on subject goods from China as evidence of spare capacity with the producers in China. As per the information available on record, the spare capacity with the producers of subject goods in China in 2012 was estimated to be 192000 MT whereas the entire domestic demand in India during the POI is only around 15000MT. Neither is any recent information available with regard to surplus capacity in the subject country with the Authority nor has any interested party provided the same.

iii. Price undercutting in the absence of measures and Attractiveness of India as a market

128. It is noted that price undercutting is positive during the POI, and thus cessation of ADD currently in place is likely to lead to intensified dumping causing injury in the form of low volume of sales, reduced selling price and decline in profits to the Domestic Industry.
129. The Authority is required to establish that the price prevailing in the domestic market i.e. India is attractive for the exporter to divert the quantity exported to the third countries. It is noted that the landed value of imports is below the cost of sales and the net selling price of the Domestic Industry in the POI. The Authority has further examined the price of exports from the subject country to third countries, and it is found that the exporters of the subject country are exporting the PUC to a number of countries at prices lower than Indian prices, thereby clearly showing price attractiveness of Indian market. Data from ITC Trademap is available at 6-digit and the same indicates that significant quantity of goods falling into 291815 exported from the subject country was at a rate lower than that exported to India in 2018. It is also noted that a significant share of exports made by cooperating producer and exporter from China PR to third countries are taking place at prices below the prices at which subject goods are exported to India. Thus, in the event of cessation of ADD, the exporters in the subject Country are likely to export the product in India at dumped pricing causing injury to the Domestic Industry.

iv. Inventories of the article being investigated

130. The inventory of the cooperating producer/exporter from China has been increasing since 2016, having increased 9 times in 2018, as compared to 2017.

POST-DISCLOSURE COMMENTS**Submissions by the Domestic Industry**

131. The Applicant reiterated its submissions regarding the need to continue ADD. Further, the Applicant made the following submissions:
- a. The Applicant has requested for disclosure of the following facts, in order to come to a meaningful conclusion:
 - i. A copy of communications sent by the Authority and copy of the non-confidential version of replies filed by the interested parties.
 - ii. A copy of the non-confidential version of submissions by interested parties.

- iii. A copy of non-confidential version of rejoinder submissions.
 - iv. Since the methodology is based on the domestic industry data, the Applicant may be disclosed the non-confidential version of the normal value so determined.
 - v. The Authority has been requested to disclose which transactions have been considered to determine the export price for non-responding exporters, and the same is requested to be disclosed.
- b. The Authority has noted in the Disclosure Statement that as the net selling price of the domestic industry has increased steadily during the injury period, hence there is no price depression for the domestic industry. It is submitted that such an observation is incorrect; the selling price has declined in the POI when compared to the previous year, when costs have increased.
 - c. The Applicant has reiterated that in the context of SSR where the claim of extension is based on recurrence of injury, the Authority may examine the likelihood of price suppression/ depression in case of cessation of ADD.
 - d. Even when profits and ROI registered a positive growth, the same declined in the POI and were below optimum/desired levels, indicating the vulnerable position of the domestic industry.
 - e. The Applicant has submitted that the present quantum of duties should be extended in the present case. A harmonious reading of Article 11.3 of WTO Agreement and Section 9A (5) read with Rule 23(1B) makes it evident that the Authority is required only to extend the period and that the duties should not be modified in a sunset review. Even in situations where dumping margin and/or injury margin have been found negative at the stage of sunset review, the same quantum of ADD has been extended on the grounds of likelihood of dumping and injury.
 - f. The Applicant has provided import data for the post-POI period and stated that since the import prices are in the similar region, despite the fact that the costs have changed, existing quantum of ADD needs to be continued.
 - g. The Applicant has submitted that the duty should be imposed in terms of US\$.
 - h. The Applicant has submitted that ADD may be imposed only as a fixed quantum, citing that the product is already attracting fixed quantum of ADD at present and that the Anti-dumping legislation which has been created in consonance and in conformity with the WTO Agreement on Anti Dumping, explicitly permits authorities to impose ADD in the form and manner requested. Further, the Applicant has cited cases in which the order of the Authority has been modified by CESTAT on the grounds of incorrect form of measures.

Submissions by other interested parties

132. The submissions of the cooperating producer/exporter are as follows:

- a. As already stated in the rejoinder submissions, the PUC under anti-dumping investigation in Russia and Thailand was *Citric Acid not Sodium Citrate*. The cooperating producer/exporter has requested the Authority to take this fact into consideration. Further, the AD measures issued by Eurasian Economic Union concerning Citric Acid were terminated on 9th April, 2020.
- b. The Authority has allowed a return of 22% on average capital employed for the PUC and has assumed the same to be reasonable. It is submitted that the non-injurious price determined by the Authority is hypothetical and not reasonable.

Examination by the Authority

133. The Authority notes that the post-disclosure comments / submissions made by the interested parties are mostly reiterations and already examined suitably and adequately addressed in the relevant paras of these final findings. Other post-disclosure comments/ submissions made by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.
134. With reference to the Applicant's request that non-confidential versions of communications sent by the Authority and copy of the non-confidential version of replies filed by the interested parties be made available, it is stated that as per DGTR's practice, all non-confidential versions were made available in the public file before the nation-wide lockdown due to COVID-19. Thereafter, all non-

confidential versions of communication which, as per DGTR's practice would have been put in the public file, have been shared through e-mail with interested parties. Further, to determine the export price for non-responding exporters, the Authority has considered the information on the basis of facts available.

135. With regard to likelihood of price depression in the event of cessation of anti-dumping duty, it is noted that same has been examined in the relevant part of these findings. It is also noted that price depressing effect is not discernible when examined from the base year, However, domestic industry prices have been depressed in the POI as compared to 2017-18, and it is likely that price effect on the domestic industry will be adverse in the event of revocation of anti-dumping duty.
136. The Authority has allowed a return of 22% on average capital employed for the PUC as per its consistent practice.
137. As regards the argument that existing quantum of anti-dumping duty should be continued, it is the consistent practice of the authority to recommend a particular level of ADD in the SSR investigation, based on the particular facts and circumstances of the case. The Authority has examined the matter keeping in view the contentions raised, information provided, and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded above, and on the basis of the above analysis, it is considered appropriate to recommend continuation of definitive anti-dumping duty, as modified, on all imports of the subject goods from the subject country as per duty table below.

Conclusion on likelihood of dumping and injury

138. The evidences on record show that even though imports have declined from the subject country, the same have remained significant. Dumping of the subject goods from China PR continues and imports of subject goods are being made at prices which are suppressing the prices of the domestic industry, and are below the non-injurious price. The information on record also shows that there are excess capacities in China and exporters are subject to antidumping duties in Russia, USA, Europe, Thailand, Colombo and Brazil. Such excess capacities coupled with trade barriers are likely to increase exports at dumped prices in the event of expiry of present duties. Further, significant volumes of exports made by the subject country to third countries are at prices below the prices at which subject goods are being exported to India and the inventory level with the responding exporter is increasing. Thus, all these parameters indicate that in the event of cessation of ADD, the exporters in the subject country are likely to intensify export of dumped product in India at dumped prices, causing injury to the Domestic Industry.

G. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

139. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
140. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

H. CONCLUSION

141. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:
- a. There is continued dumping of the subject goods from subject country and the imports are likely to enter the Indian market at dumped prices in the event of expiry of duty.

- b. The domestic industry has suffered continued injury on account of dumped imports from the subject country.
- c. The information on record shows likelihood of continuation of dumping and injury in case the Anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage.
- d. There is sufficient evidence to indicate that the revocation of ADD at this stage will lead to continuation of dumping and injury to the Domestic Industry.

I. RECOMMENDATIONS

142. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link.

143. Having concluded that there is positive evidence on the aspect of dumping, injury and causal link and likelihood of dumping and injury if the existing anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that continuation of duty is required on the import of PUC from the subject country.

144. Under the circumstances, the Designated Authority considers it appropriate to recommend continuation of definitive anti-dumping duty, as modified, on all imports of the subject goods from the subject country as per column 7 in the duty table below:

Duty Table

Sl. No.	Sub-heading	Description of Goods*	Country of origin	Country of exports	Producer	Amount	Unit of measurement	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29181520	Sodium Citrate	China PR	Any country including China PR	Jiangsu Guoxin Union Energy Co.,Ltd.	96.05	MT	US\$
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any other producer other than serial no. 1	152.78	MT	US\$
3	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	152.78	MT	US\$

***Note:** The Description of the Goods in the Duty Table above includes the following alternate names as well: – (a). Tri Sodium Citrate; (b). Tri Sodium Citrate dehydrate; (c). Sodium Citrate dehydrate; (d). Tribasic Sodium Citrate; (e). Sodium Citrate Tribasic Dihydrate; (f). Sodium Citrate Dibasic Sesquihydrate; (g). Sodium Citrate Monobasic Bioxtra.

145. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time.

146. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the with the relevant provisions of the Act.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority